सत्यमेव जयते

पंचायती राज

15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्‍वारा उपयोगित अनुदान

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगित अनुदान

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE, RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) देश में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं के बढ़ते अंतरण के लिए समर्थन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। पेयजल, स्वच्छता, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान भी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्षम बनाने की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

15वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सभी तीन स्तरों के साथ-साथ पांचवीं और छठी अनुसूची के पारंपरिक निकायों में पंचायतों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए इसके अधिनिर्णय को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुदानों की अनुशंसा करते हुए, 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया है राज्यों/ ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनंतिम और लेखापरीक्षित लेखों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन प्रदर्शित करने के संदर्भ में अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए कई शानदार प्रयास किए हैं। इस संबंध में जन योजना अभियानों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को सार्वभौमिक रूप से अपनाने से ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रभावी संसाधन उपयोग करने में मदद मिली है। ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन अनुप्रयोगों ने अपने वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने और नियमित लेखापरीक्षण को सक्षम करने के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रदान किए हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा, जिसे पहली बार मनरेगा द्वारा अधिदेशित किया गया था, को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में देखा गया है और इसे कई सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए अपनाया जा रहा है। अब 15वें वित्त आयोग के अनुदान पर्याप्त मात्रा में सीधे ग्रामीण स्थानीय निकायों तक पहुंच रहे हैं और इन अनुदानों से की गई गतिविधियों/कार्यों से ग्रामीण स्थानीय निकायों की शासन दक्षता में सुधार होगा।

अत:, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों संबंधी यह दस्तावेज पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एनआईआरडीपीआर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। दस्तावेज़ सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को विस्तार से परिलक्षित करता है और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करता है। मुझे आशा है कि सभी हितधारक इन दिशानिर्देशों से लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इससे राष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

(नरेंद्र सिंह तोमर)

कार्यालय: "जी" विंग, भूतल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 23782873, 23782327 फैक्स: 011-223385876
निवास: 3 किशन मेनन मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23794667/98, फैक्स: 011-23794696

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
SUNIL KUMAR, IAS

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

आमुख

सामाजिक लेखापरीक्षा एक सुस्थापित तंत्र है जो समवर्ती निगरानी में लोगों की भागीदारी के साथ-साथ सरकार की प्रक्रियाओं में सुधारात्मक तंत्र को सक्षम बनाता है।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को स्थानीय स्व-शासन को सुदृढ़ करने का अधिदेश प्राप्त है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को उनके विभिन्न संसाधनों का सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से उपयोग करने में सहायता करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के अलावा, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है, पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किए हैं, जो वित्तीय लेनदेन के लेखांकन के कवरेज के माध्यम से कार्यों और सेवाओं की योजना प्रक्रिया से शुरू होकर अंत में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समाप्त होने के लिए पीआरआई की सभी प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग अनुदानों को जारी करने और उपयोग का समन्वय भी करता है। एनजीएनआरईजीएस और अन्य योजनाओं के अनुभव के आधार पर जिन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन किया गया है। यह व्यापक रूप से महसूस किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी इसी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होगी।

15वें वित्त आयोग अनुदानों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों का वर्तमान दस्तावेज राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। दस्तावेज में संपूर्ण सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की व्यवस्थित तरीके से व्याख्या की गई है, जिसमें परिचयात्मक बैठकों, फील्ड कार्यों, मसौदा रिपोर्ट तैयार करने, ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायत स्तर/उच्च स्तरीय जन सुनवाइयों का आयोजन, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना और समीक्षा समितियों के माध्यम से की गई कार्रवाई रिपोर्ट शामिल है। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों की संभारतंत्रीय आवश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने में एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना करते हुए, मैं सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों हितधारकों और चिकित्सकों से पंचायतों की शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इन दस्तावेजों का पूरा उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

(सुनील कुमार)

कृषि भवन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001, KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001

दूरभाष: 011-23389008, 23074309 फैक्स- 011-23389028 ईमेल: secy-mopr@nic.in

डॉ. चन्द्र शेखर कुमार, आई.ए.एस
अपर सचिव
Dr. Chandra Shekhar Kumar, IAS
ADDITIONAL SECRETARY
Tel.: 011-23725301
Email: cs.kuman@nic.in

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
टावर II 9वां तल
जीवन भारती बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
Tower-II, 9" Floor,
Jeevan Bharati Building,
New Delhi-110001

आमुख

पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय स्व-सरकारों के संबंध में संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुपालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। मंत्रालय पंचायतों के माध्यम से देश में विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्व-शासन की दक्षता और उत्कृष्टता को विकसित करने का प्रयास करता है। इस संबंध में, यह पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है जो सामाजिक न्याय और ग्रामीण नागरिकों को सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा।

सरकार की विकास परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में नागरिकों की भागीदारी एक जीत की रणनीति रही है, क्योंकि यह न केवल परियोजना के परिणामों को लाभार्थी उन्मुख बनाता है, बल्कि उपयोगकर्ता उन्मुख निगरानी और नियंत्रण रणनीति को भी बढ़ावा देता है। एमजीएनआरईजीएस जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा लीकेज को रोकने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

पंचायती राज मंत्रालय के अधिदेश में केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग की निगरानी करना भी शामिल है, जिन्हें हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की दृष्टि से बड़ी मात्रा में आबंटित किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने विभिन्न बुनियादी सेवाओं को सक्षम करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की हैं जिनमें जल आपूर्ति और स्वच्छता के राष्ट्रीय फोकस क्षेत्र शामिल हैं, जिनका महत्वाकांक्षी उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप से पेयजल की आपूर्ति प्रदान करना है और साथ ही गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना है।

नियमित आधार पर किए जाने वाले प्रस्तावित सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यों से एक साक्ष्य आधारित प्रणाली उपलब्ध होगी जिसके माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आने वाले वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए जा रहे 15वें वित्त आयोग अनुदानों के समुचित उपयोग की निगरानी कर सकेंगे। आशा है कि यह सामाजिक लेखा-परीक्षा दिशा-निर्देश दस्तावेज पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के साथ किए गए कार्यों/कार्यकलापों की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावी ढंग से करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) संसाधन व्यक्तियों और प्रशिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए एक तैयार गणना और संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

मंत्रालय एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए भी तत्पर है जो न केवल इन दिशानिर्देशों से निकलने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की मुख्य टिप्पणियों को संग्रहित करेगा, बल्कि भविष्य में बेंचमार्क के रूप में साझा की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संग्रह के रूप में भी काम करेगा।

डॉ. चंद्रशेखर कुमार
अपर सचिव
पंचायती राज मंत्रालय

खुशवंत सिंह सेठी
संयुक्त सचिव
K.S. SETHI
Joint Secretary

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
11 Floor, Jeevan Prakash Building
25, K.G. Marg, New Delhi-110001

आभार

पंचायतों को देश के भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है, जबकि पारंपरिक स्थानीय निकाय (टीएलबी) गैर भाग IX क्षेत्रों में समान कार्य करते हैं। 15वें वित्त आयोग को पंचायतों के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करने का अधिदेश दिया गया था और तदनुसार उसने पंचायतों के सभी स्तरों के साथ-साथ देश के गैर-भाग IX क्षेत्रों में टीएलबी को भी अनुदान देने की अनुशंसा की है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये के आवंटन की अनुशंसा की है। इसमें से 40% अनुशंसित अनुदान मूल अनुदान (असहबद्ध) होगा, और शेष 60% बंधित अनुदान के रूप में जल और स्वच्छता के क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।

हम माननीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भारत सरकार के प्रति सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हमें पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार के प्रति इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने और अंतिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है। केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के लिए ये सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश श्री संजीव कुमार, तत्कालीन एएस एंड एफए, पंचायती राज मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, जिनकी दृष्टि और दूरदर्शिता न केवल राजकोषीय पारदर्शिता, बल्कि सार्वजनिक खर्च में गुणात्मक सुधार भी सुनिश्चित करने के लिए थी, और हम उनके समर्पित और निरंतर समर्थन के लिए उनके बहुत आभारी हैं।

दिशा-निर्देश एक व्यापक और गहन परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए थे। दिशा-निर्देशों का प्रारंभिक मसौदा सामाजिक लेखापरीक्षा संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) के संकाय द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें डॉ. सी. धीराजा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, डॉ. श्रीनिवास सजजा, सहायक प्रोफेसर और केंद्र के सलाहकार श्री करुणा एम, श्री मो. आरिफ, सुश्री नंदिनी डे, श्री पापी रेड्डी, श्री शहीद अली और श्री शशधर थे। प्रारंभिक मसौदे को चुनिंदा राज्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के निदेशकों और कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ साझा किया गया था और उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा संस्थान, एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा 25 नवंबर 2020 को आयोजित एक ऑनलाइन परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। केरल के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.एम. विजयानंद, झारखंड की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के निदेशक श्री गुरजीत सिंह, तेलंगाना की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की निदेशक सुश्री सौम्या किदाम्बी, आंध्र प्रदेश की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के निदेशक श्री जी. श्रीकांत, कर्नाटक की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की एसआरपी सुश्री लोचना, झारखंड की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के श्री उज्ज्वल एसआरपी से मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई। श्री मोहम्मद तकीउद्दीन, वरिष्ठ सलाहकार, सीपीआर, एनआईआरडी एंड पीआर को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता करते है।

दूरभाष: 011-23753820, 011-23753821 (टेलीफैक्स), ईमेल: jscb-mopr@gov.in. www.panchyat.gov.in

पंचायती राज मंत्रालय ने सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में 22 दिसंबर, 2020 को राज्यों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श भी आयोजित किया। व्यापक परामर्श प्रक्रिया के दौरान श्री संजीव कुमार, एएस एवं एफए, पंचायती राज मंत्रालय, डॉ. चन्द्र शेखर कुमार से मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती राधिका रस्तोगी, एनआईआरडी एवं पीआर के उप महानिदेशक श्री आलोक प्रेम नागर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री रेखा यादव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विजय कुमार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप सचिव श्रीमती उमा महादेवन, जनसंपर्क विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती उमा महादेवन उपस्थित थीं। इस अवसर पर कर्नाटक के जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री आदित्य रंजन, आंध्र प्रदेश के पंचायती राज उपायुक्त श्री डी. सत्यनारायण, मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव श्री सचिन सिन्हा, अवर सचिव श्री तारा चंदर उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री जी.एस. कृष्णन, सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय उपर्युक्त परामर्श के दौरान प्राप्त जानकारी और 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में मसौदे को और संशोधित किया गया था।

मंत्रालय मसौदा तैयार करने और राज्यों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाने में सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र, एनआईआरडी और पीआर के संकाय सदस्यों और सलाहकारों के मूल्यवान योगदान को स्वीकार करता है। राज्य सरकारों के अधिकारियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी स्वीकृति दी जाती है जिन्होंने मसौदा दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव दिए। पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों और सलाहकारों के योगदान और समर्थन को भी स्वीकार किया जाता है।

के.एस. सेठी

विषय-वस्तु

संक्षेपों की सूची			xi-xiii
1	**पृष्ठभूमि**		1
	1.1	वित्त आयोग	1
	1.2	15वां वित्त आयोग	1
	1.3	पंचायती राज संस्थाएं	2
	1.4	आरआरआई के बीच अनुदान का वितरण	2
	1.5	केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी और सहबद्ध अनुदान जारी करना	4
	1.6	आरआरआई द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग	5
	1.7	निगरानी और मूल्यांकन	7
2	**15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा**		7
	2.1	सामाजिक लेखापरीक्षा की परिभाषा	7
	2.2	15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता	7
	2.3	15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य	8
	2.4	15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा का दायरा	9
	2.5	अवधि	12
	2.6	कवरेज	12
3	**सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया**		13
	3.1	परिचयात्मक बैठक/प्रवेश सम्मेलन	13
	3.2	फील्ड कार्य	13
	3.3	मसौदा रिपोर्ट तैयार करना	15
	3.4	सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई	15
	3.5	जन सुनवाई	17
	3.6	रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना	19
	3.7	कार्रवाई रिपोर्ट समीक्षा समिति	19
4	**सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा इकाई की संरचना और कार्य**		20
	4.1	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई	20
	4.2	एसएयू के शासी बोर्ड	20
	4.3	एसएयू के कार्मिक	21
	4.4	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के उत्तरदायित्व	21
	4.5	सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व	22
	4.6	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई में पारदर्शिता और जवाबदेही	24

5	15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व		25
	5.1	ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सचिव/अध्यक्ष और आईपी के बीडीओ/डीपी के अध्यक्ष और सीईओ के उत्तरदायित्व	25
	5.2	जीपी/आईडी/डीपी के निर्वाचित सदस्यों के उत्तरदायित्व	25
	5.3	राज्य सरकार के उत्तरदायित्व	26
	5.4	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तरदायित्व	27
6	सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए निधियां		28
	6.1	सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा और संचालन की लागत	28
	6.2	निधियों को जारी करने की विधियां	28
	6.3	लेखों की लेखापरीक्षा	29
	6.4	व्यय के लिए अनुमति मद/गतिविधियाँ	29
	6.5	अन्य योजनाओं के साथ 15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा	29
7	15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना		
	7.1	गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण	29
	7.2	निगरानी	29
	7.3	आकलन	30
	7.4	परीक्षण लेखापरीक्षा	30
8	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीटी)		30
	8.1	प्रशिक्षण	30
	8.2	संवेदीकरण	30
9	सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के लिए आचार संहिता		30
	9.1	नीति	30
	9.2	स्वाधीनता	31
	9.3	व्यावसायिकता	31
10	सामाजिक लेखापरीक्षा		
	10.1	विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां	31
	10.2	विशेष लेखापरीक्षा के लिए समर्थन	31
11	समवर्ती निगरानी		32
अनुबंध			33
अनुबंध 1: सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं की सूची			33
अनुबंध 2: सामाजिक लेखापरीक्षा सत्यापन प्रारूप			35

अनुबंध 3: संभावित उल्लंघन जिन्हें एसए सुविधाप्रदाताओं द्वारा जांचा जाना चाहिए			39
अनुबंध 4: सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए लिया गया निर्णय, प्रारूप और प्रारूप			41
अनुबंध 5: सक्रिय प्रकटीकरण- दीवार पेंटिंग			43
अनुबंध 6: 15वें वित्त आयोग अनुदान का एसए - सारांश प्रारूप			46
	क.	कृत लेखापरीक्षा की संख्या	46
	ख.	रिपोर्ट किए गए मुद्दों और दायर किए गए एटीआर का सारांश	46
	ग.	वित्तीय दुरुपयोग/दुरुपयोग के मुद्दे	47
	घ.	प्रक्रिया उल्लंघन और शिकायत	47
	ङ.	अनुशासनात्मक कार्रवाई	48
	च.	सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का गुणात्मक सारांश, कृत कार्रवाई रिपोर्ट और भावी योजना	48

संक्षेपों की सूची

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
1.	एएस	प्रशासनिक स्वीकृति
2.	एटीआर	कृत कार्रवाई रिपोर्ट
3.	बीआरपी	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
4.	सीए	सनदी लेखाकार
5.	सीएंडएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
6.	सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
7.	सीएसओ	नागरिक समाज संगठन
8.	सीसी	पूर्णता प्रमाणपत्र
9.	डीए	दैनिक भत्ता
10.	डीपी	जिला पंचायत (जिला परिषद/जिला पंचायत)
11.	डीआरपी	जिला संसाधन व्यक्ति
12.	डीटीएफ	लिए गए निर्णय का प्रारूप
13.	XV एफसी	15वां वित्त आयोग
14.	एफएस	वित्तीय स्वीकृति
15.	एफटीओ	निधि अंतरण आदेश
16.	जीपी	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत)
17.	डीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
18.	जीएस	ग्राम सभा
19.	आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
20.	आईपी	मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक/मंडल/तालुका पंचायत)
21.	जेजेएम	जल जीवन मिशन
22.	एमबी	मापन पुस्तिका
23.	एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
24.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
25.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
26.	एमओपीआर	पंचायत राज मंत्रालय
27.	एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
28.	ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्ति
29.	ओएंडएम	संचालन और रखरखाव
30.	पीईएसए	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के प्रावधान

31.	पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
32.	क्यूसी	गुणवत्ता नियंत्रण
33.	आरएलबी	ग्रामीण स्थानीय निकाय (पंचायती राज संस्थाएं)
34.	आरटीआई	सूचना का अधिकार
35.	एसएयू	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई
36.	एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
37.	एससी	अनुसूचित जाति
38.	एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
39.	एसटी	अनुसूचित जनजाति
40.	एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
41.	टीए	यात्रा भत्ता
42.	टीएलबी	पारंपरिक स्थानीय निकाय
43.	टीएस	तकनीकी मंजूरी
44.	यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
45.	वीआरपी	ग्राम संसाधन व्यक्ति
46.	वीएलसी	ग्राम श्रम समिति
47.	वीएमसी	सतर्कता और निगरानी समिति
48.	वीओ	ग्राम संगठन
49.	डब्ल्यूओ	कार्य आदेश

15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुदान उपयोग

1 पृष्ठभूमि

1.1 वित्त आयोग

वित्त आयोग संवैधानिक रूप से राजकोषीय संघवाद के केंद्र में अनिवार्य निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित, इसका मुख्य उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की अनुशंसा करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करना है। इसके कामकाज की विशेषता सरकारों के सभी स्तरों के साथ व्यापक और गहन परामर्श है, इस प्रकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सुदृढ़ किया जाता है। इसकी अनुशंसा सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में भी हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था और अब तक पंद्रह आयोग हो चुके हैं। उनमें से प्रत्येक ने अनूठी चुनौतियों का सामना किया है।

इसके अलावा, राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73वें सीएए) ने राज्य सरकारों द्वारा हर पांच वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य कर दिया, जो सभी स्तरों पर राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के बीच संसाधनों के विभाजन (कर आय) का निर्णय करेगा।

1.2 15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को योजना आयोग के उन्मूलन (साथ ही योजना और गैर-योजना व्यय के बीच अंतर) और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने मूल रूप से संघीय राजकोषीय संबंधों को पुन: परिभाषित किया है। 15वें वित्त आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ, 2020-25 के दौरान पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरक बनाने के लिए राज्य की समेकित निधियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करने का अधिदेश दिया गया था। इसके बाद, आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया गया था, एक वर्ष 2020-21 के लिए और अंतिम रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए। आयोग ने 5 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय वर्ष 2020-21 को कवर करने वाली अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट में, 15वें वित्त आयोग ने अट्ठाईस राज्यों के लिए स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रुपये का अनुदान तैयार किया है। इस कोष में से, आयोग ने 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) के लिए 60,750 करोड़ रुपये के आवंटन की अनुशंसा की है। अनुशंसित अनुदान का 50% मूल अनुदान (असहबद्ध) है और शेष 50% सहबद्ध अनुदान के रूप में है।

अक्तूबर 2020 में प्रस्तुत 2021-26 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में, 15वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की अनुशंसा की है। राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत और राज्यों के क्षेत्र पर 10 प्रतिशत भार के साथ होता है। पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले कुल अनुदानों में से 60 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत असहबद्ध है और इसका उपयोग बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर किया जाना है।

1.3 पंचायती राज संस्थाएं

73वें संशोधन अधिनियम (73वां सीएए), 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX को सम्मिलित किया और ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों सहित देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की स्थापना की। तथापि, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतों के केवल दो स्तर हैं। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों ने कुछ संशोधनों के साथ भाग IX को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ा दिया, उनमें से महत्वपूर्ण प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा का प्रावधान है। भारत के संविधान का भाग IX अभी भी छठी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं है जहां स्वायत्त जिला परिषद और ग्राम परिषद स्थानीय निकायों के रूप में काम करते हैं। विभिन्न स्तरों पर इन पंचायती राज संस्थाओं के नामकरण विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं और उनके पदाधिकारियों के नाम भी राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। सभी राज्यों ने अपने स्वयं के राज्य पंचायती राज अधिनियम और विभिन्न नियम भी बनाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यों को समझने के लिए 73वें संशोधन अधिनियम और पेसा अधिनियम के साथ राज्य पीआर अधिनियमों और नियमों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

1.4 पंचायती राज संस्थाओं में अनुदान का वितरण

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट के अध्याय-5 में निहित स्थानीय निकाय अनुदानों पर अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01-06-2020 के पत्र संख्या 15(2) XVFC/एफसीडी/2020-25 के अंतर्गत परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैरा 5.3 (vi) में दिए गए निर्देशों के अनुसार और 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट के अध्याय 7 के पैरा 7.67 में दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच पैरा 5.3 (ii) और (v) और अंतर-स्तरीय वितरण (प्रत्येक स्तर में) में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सभी स्तरों का पारस्परिक हिस्सा तैयार करना चाहिए। राज्यों के बीच स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का पारस्परिक वितरण जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जा सकता है। शेष जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की धीमी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कारण, 15वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के बीच 15वें वित्त आयोग निधियों का आवंटन करते समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी की उच्च एकाग्रता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर देना चाहिए।

पंचायतों के सभी स्तरों-गांव, ब्लॉक और जिले के साथ-साथ भाग IX क्षेत्रों में पारंपरिक स्थानीय निकायों को भी अनुदान प्राप्त होगा। राज्यों द्वारा पंचायती राज स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण नवीनतम राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर और ग्राम पंचायतों के लिए 70 प्रतिशत-85 प्रतिशत, ब्लॉक पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत-25 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 5 प्रतिशत-15 प्रतिशत के निम्नलिखित बैंड के अनुरूप किया जाना चाहिए। छोटे राज्यों में जहां केवल ग्राम और जिला पंचायतों के साथ दो-स्तरीय प्रणाली है, आवंटन क्रमशः 70 प्रतिशत-85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत-30 प्रतिशत के बैंड में होगा। इसके अलावा, एसएफसी की अनुशंसा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, पंचायती राज स्तरों में पारस्परिक वितरण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित बैंड में किया जाना चाहिए। एक बार प्रत्येक स्तर के लिए राज्य-स्तरीय अनुदान निर्धारित हो जाने के बाद, राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार होना चाहिए।

राज्यों को राज्य में आने वाले पांचवीं और छठी अनुसूची दोनों क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर अनुदान का आवंटन भी करना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों को अप्रैल 2020 के माह में वर्ष 2020-21 के लिए इन अनुदानों को आवंटित करने और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालयों को सूचित करने का निर्देश दिया गया था। 15वें वित्त आयोग ने अनुदानों का लाभ उठाने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अनंतिम लेखों और पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों दोनों की ऑनलाइन उपलब्धता की भी अनुशंसा की है। (2021-22 और 2022-23) अवधि के पहले और दूसरे वर्ष में, ये अनुशंसा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अधीन हैं, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले वर्ष के लिए उनके अनंतिम लेखे और पिछले वर्ष से पहले के लेखापरीक्षित लेखे दोनों सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हों ताकि वे पूर्ण अनुदान का लाभ उठा सकें। तीसरे वर्ष (2023-24) से, राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय कुल अनुदान प्राप्त होगा, जिनके पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखे और पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे हैं और इन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य के लिए केवल 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम लेखे और वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखे हैं और ये 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो 2023-24 में, राज्य को वर्ष 2023-24 के लिए इन 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय कुल राशि प्राप्त होगी।

1.5 केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी और सहबद्ध अनुदान जारी करना

पीआरएल के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्रवेश स्तर के बेंचमार्क और अन्य अनुशंसित आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद प्रत्येक वर्ष जून और अक्तूबर में दो समान किस्तों में जारी किए जाएंगे। राज्य केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस कार्य दिनों में स्थानीय सरकारों को अंतरित करेंगे। दस कार्य दिनों से अधिक विलंब के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित इसे जारी करना होगा।

1.5.1 बुनियादी अनुदान जारी करना

वर्ष 2020-21 के लिए, पीआरआई/टीएलबी को अनुदान का 50% असहबद्ध मूल अनुदान के रूप में अनुशंसित किया गया है। हालांकि, 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में केवल 40% असहबद्ध मूल अनुदान के रूप में अनुशंसा की गई है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) से निर्धारित प्रारूप में अनुदान अंतरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (भारतीय वित्त आयोग प्रभाग) द्वारा मूल (असहबद्ध) अनुदान अर्थात 2020-21 के लिए 50% और 2021-26 के लिए 40% आवंटन दो किस्तों में जारी की जाएगी।

1.5.2 सहबद्ध अनुदानों को जारी करना

वर्ष 2020-21 में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीआरआई/टीएलबी को अनुदान का 50% (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव; और (ख) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण पर खर्च किए जाने वाले सहबद्ध अनुदान के रूप में अनुशंसित किया गया है। हालांकि, 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदान का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित किया जाएगा और ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदान का अन्य 30 प्रतिशत स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाएगा और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन शामिल होना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद वर्ष 2020-2021 के लिए आवंटन का 50% और वर्ष 2021-26 के लिए आवंटन का 60% दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और पंचायती राज मंत्रालय अनुदान जारी करने की अनुशंसा करने से पहले निम्नलिखित का आकलन करेंगे: (क) खुले में शौच मुक्त पंचायत की स्थिति और रखरखाव, (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, (ग) जीपीडीपी को अपलोड करना और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर 15वें वित्त आयोग निधियों के उपयोग के बारे में विवरण, (घ) सहबद्ध अनुदान के घोषित उद्देश्यों के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय कोई अन्य शर्त जो उचित समझे। वर्ष 2021-22 के लिए पात्रता का आकलन वर्ष 2020-21 के परिणामों पर आधारित होगा। अनुदान की शेष अवधि के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य सरकारों (राज्य वित्त विभाग) को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) अनुदानों की प्रत्येक किस्त को सभी संबंधित संस्थाओं (ग्राम/ग्राम पंचायत, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों/जिला/जिला पंचायतों और बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधित संस्थाओं, यदि कोई हो) केंद्र सरकार से अनुदान को उनके नोडल विभाग के माध्यम से बिना किसी कटौती के अंतरित करना चाहिए। दस कार्य दिनों से अधिक विलंब के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋणों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित इसे जारी करना होगा।

1.6 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग

1.6.1 बुनियादी अनुदान का उपयोग

जैसा कि 15वें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है, मूल अनुदान असहबद्ध हैं और वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, हालांकि, इस अनुदान से वहन किया जा सकता है। भारत सरकार के लोक संसाधन मंत्रालय ने कार्यों/कार्यकलापों की मदों के लिए मूल (असहबद्ध) अनुदानों के उपयोग के संबंध में पत्र सं 2008-08 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किए हैं ताकि जी39011/2/2017-एफडी दिनांक 5 अगस्त 2020 ताकि ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग मूल (असहबद्ध) अनुदानों के साथ शुरू की जाने वाली अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने और अवांछनीय और बाहरी वस्तुओं पर संभावित दुरुपयोग को रोकने की सुविधा मिल सके। पंचायती राज मंत्रालय ने बुनियादी (असहबद्ध) अनुदानों का उपयोग करके ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) द्वारा शुरू किए जा सकने वाले कार्यों/कार्यकलापों की निम्नलिखित सांकेतिक मदें प्रदान की हैं। पंचायतों को विभिन्न अधिनियमों/नियमों अर्थात जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने औश्र अद्यनित करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का जनादेश है आर्थात "तूफान जल निकासी और जल जमाव प्रबंधन; बच्चों का टीकाकरण; बच्चों के कुपोषण की रोकथाम; ग्राम पंचायत (जीपी) और अंतर-ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण और मरम्मत और रखरखाव; ग्राम पंचायत और अंतर-ग्राम पंचायत में फुटपाथों का निर्माण और मरम्मत; निर्माण और मरम्मत और श्मशान का रखरखाव और श्मशान और श्मशान घाटों के लिए भूमि का अधिग्रहण; और शव दफन भूमि का रखरखाव; ग्राम पंचायत में पर्याप्त और उच्च बैंडविड्थ वाई-फाई डिजिटल नेटवर्क सेवाएं प्रदान करना; सार्वजनिक पुस्तकालय-बच्चों के पार्क सहित मनोरंजन सुविधाएं-खेल का मैदान-ग्रामीण हाट-खेल और शारीरिक फिटनेस उपकरण आदि और प्रासंगिक राज्य विधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोई अन्य बुनियादी बेहतर/बढ़ी हुई सेवा; बिजली, पानी, संग्रह और निपटान और पुनर्चक्रण अपशिष्ट, तरल/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण के लिए आवर्ती व्यय, प्राकृतिक आपदाओं/महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य करना; पंचायती राज मंत्रालय के पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के घटक में ओएंडएम और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर नहीं किया है। पंचायतें ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदाएं/सेवा संविदाएं कर सकती हैं। तथापि, इस घटक के अंतर्गत नकारात्मक सूची में शामिल अनुदानों अर्थात् अन्य स्कीमों से पहले से वित्त-पोषित मदों पर व्यय, सम्मान/सांस्कृतिक कार्यों/अलंकरणों/उद्घाटनों, मानदेय, निर्वाचित प्रतिनिधियों के टीए/डीए के अवसर, मौजूदा स्थायी कर्मचारियों के वेतन/मानदेय, खैरात/पुरस्कार, मनोरंजन, वाहनों और एयर कंडीशनरों की खरीद की अनुमति नहीं है।

1.6.2 सहबद्ध हुए अनुदानों का उपयोग

सहबद्ध अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) जहां तक संभव हो, इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन सहबद्ध अनुदानों का आधा (50%) निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी ग्रामीण

स्थानीय निकायों (पीआरआई) ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूर्णत: पूरा कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए सहबद्ध निधियों का उपयोग कर सकता है। 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को कुल अनुदान का 30% आवंटित करने की अनुशंसा की गई है, जिनमें से प्रत्येक को (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए आवंटित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) चरण-II दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग स्वच्छता कार्यों के लिए किया जाता है, तो मनरेगा या एसबीएम आदि जैसी अन्य योजना निधियों के साथ अभिसरण करते हुए, 15वें वित्त आयोग अनुदानों का हिस्सा 30% होगा। जल जीवन मिशन ने नई जल आपूर्ति योजना के पूंजीगत व्यय और जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अपशिष्ट टैरिफ/उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए 5-10% सार्वजनिक योगदान अनिवार्य किया है।

1.7 निगरानी और मूल्यांकन

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) के संबंध में 15वें वित्त आयोग की शेष अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। राज्य सरकार का नोडल विभाग ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन उपयोग की निगरानी करेगा और समय-समय पर पंचायती राज मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र होगी। 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के पर्यवेक्षण और प्रबंधन की उत्तरदायी सौंपकर शामिल किया जाना चाहिए।

2 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा

2.1 सामाजिक लेखापरीक्षा की परिभाषा

किसी स्कीम की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसी लेखापरीक्षा है जो उन लोगों द्वारा आयोजित की जाती है जो उस स्कीम के लाभार्थी हैं। इसमें आधिकारिक दस्तावेजों में डेटा के साथ क्षेत्र की वास्तविकताओं को सत्यापित करना और ग्राम सभा जैसे सार्वजनिक मंच पर निष्कर्षों पर चर्चा करना शामिल है। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया उस निधियों के लेखांकन से परे जाती है जो यह जांचने के लिए खर्च की गई है कि क्या पैसा ठीक से खर्च किया गया था और लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया है।

2.2 एफसी-15 अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता

अतीत में, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने उल्लेख किया है कि स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही उनके लिए निधियों के बढ़ते प्रवाह के अनुरूप नहीं है और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य महालेखापरीक्षक कार्यालयों को सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ तालमेल का पता लगाने के लिए भी कहा है। दूसरे

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सामाजिक लेखापरीक्षा के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सामाजिक लेखापरीक्षा के महत्व को समझते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग अनुदान की 10 प्रतिशत प्रशासनिक निधि से सामाजिक लेखापरीक्षा करने पर व्यय की अनुमति दी थी। सामाजिक लेखापरीक्षा संबंधी संयुक्त कार्य बल, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने लिए कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध किया था और कार्य बिंदु संख्या 7 में कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से 14वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यप्रणाली तैयार करेंगे। 14वें वित्त आयोग अनुदान के सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए दिशानिर्देश नवंबर 2019 में जारी किए गए थे। इसके अलावा, सामाजिक लेखापरीक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, लोगों को सूचित और शिक्षित करती है, परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, लोगों को अपनी आवश्यकताओं और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, सभी हितधारकों की क्षमता में सुधार करती है, स्थानीय शासन को सुदृढ़ करती है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और औपचारिक लेखापरीक्षा की पूरक होती है। 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा पंचायती राज संस्थाओं को फीडबैक प्रदान करेगी और वे लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में अपने कार्यकरण में सुधार कर सकते हैं। बुनियादी सेवाओं की सुपुर्दगी में इस प्रकार के सुधार लोगों को समय पर करों और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के संदर्भ में स्थानीय विकास के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और विशेष रूप से जेजेएम की नई पेयजल योजनाओं में सामुदायिक योगदान भी कर सकते हैं।

2.3 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य

15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं/टीएलबी द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है/यह प्रक्रिया लेखापरीक्षा अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। यह एक तथ्यान्वेषी प्रक्रिया है न कि दोष खोजने की प्रक्रिया। यह तुलन-पत्र दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए जिसका अर्थ है सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, जिन क्षेत्रों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, भविष्य में जिन क्षेत्रों से बचा जाना है और साथ ही गंभीर अनियमितताओं को भी सूचीबद्ध करना है (अनुबंध 4)। पंचायती राज संस्थाओं/टीएलबी द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) 15वें वित्त आयोग अनुदान और उनके उपयोग के बारे में ग्रामीण नागरिकों के बीच सूचना का प्रसार और जागरूकता प्रसारित करना;

ख) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग में शामिल प्राथमिक हितधारकों का क्षमता निर्माण;

ग) समुदाय आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देना;

घ) (पीआरआई/टीएलबी) द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना

ङ) ग्राम सभा और जन सुनवाई (जन सुनवाई) जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों की सुविधा प्रदान करना, जहां लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी और अन्य हितधारक अपनी आवश्यकताओं, शिकायतों और सामना किए गए मुद्दों को व्यक्त कर सकते हैं;

च) निर्धारित प्रक्रियाओं और लीकेज में विचलन को कम करके 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग को सुदृढ़ करना;

छ) शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना।

2.4 5वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

1 जून, 2020 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (पीआरआई/टीएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग के लिए परिचालन दिशानिर्देशों, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बाद के स्पष्टीकरण/सलाह और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक लेखापरीक्षा 2016 के लिए लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के दायरे में निम्नलिखित की जांच/सत्यापन शामिल होगा:

1) क्या ग्रामीण आबादी, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा हुई है?

2) क्या 15वें वित्त आयोग अनुदान पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी के प्रमुख पदाधिकारियों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किया गया है?

3) क्या 15वें वित्त आयोग अनुदानों की प्राप्ति और व्यय के संबंध में मुख्य जानकारी का प्रकटन वॉल पेंटिंग, कार्यस्थलों/सेवा प्रतिष्ठानों/उपकरणों पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन बोर्डों और ग्राम सभा/ग्राम परिषद में सूचना साझा करके सक्रिय रूप से किया जाता है?

4) क्या विभिन्न स्तरों और एक ही स्तर की पंचायतों के बीच 15वें वित्त आयोग अनुदानों का पारस्परिक वितरण 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट की अनुशंसाओं और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है?

5) क्या 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट की अनुशंसाओं और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाओं की दो श्रेणियों के बीच सहबद्ध अनुदान संवितरित किए गए हैं?

6) खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायत की स्थिति और रखरखाव, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, जीपीडीपी को अपलोड करने और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर 15वें वित्त आयोग निधियों के उपयोग के बारे में विवरण का आकलन करें।

7) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पेयजल और स्वच्छता

सेवा गतिविधियों को शामिल करते हुए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए भागीदारी वार्षिक कार्य स्कीम तैयार की हैं?

8) क्या मिशन अंत्योदय डेटा (जैसे विकास अंतराल) का उपयोग महसूस की गई आवश्यकताओं की पहचान करने और तदनुसार पेयजल और स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत विकास स्कीम और क्षेत्रीय स्कीम तैयार करने के लिए किया गया है?

9) क्या 15वें वित्त आयोग अनुदान के साथ शुरू किए गए कार्यों की पहचान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के 2018 दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित भागीदारी प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है और वे संबंधित अनुमोदित जीपीडीपी/मध्यवर्ती पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजनाओं का हिस्सा हैं?

10) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई योजनाओं के लिए पीआरआई/टीएलबी द्वारा सामुदायिक अंशदान सुनिश्चित किया गया है?

11) क्या मनरेगा या एसबीएम आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में स्वच्छता कार्यों के मामले में 15वें वित्त आयोग की निधियों को 30% तक सीमित करने वाले एसबीएम चरण-II दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है?

12) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी संकल्प परियोजना के अंतर्गत लोगों की पहचान करते हैं और उनकी क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाते हैं ताकि कुशल जनशक्ति जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, फिटर और बोर-वेल मैकेनिक आदि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सहबद्ध अनुदानों का उपयोग करके गांवों में जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित बुनियादी संरचना को लेने के लिए उपलब्ध हों?

13) क्या कार्यों के कार्यस्थलों का चयन निर्धारित मानदंडों के अनुसार/संबंधित ग्राम सभा में चर्चा और अनुमोदन के बाद किया गया है?

14) क्या 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए स्कीमें/कार्य/सेवाएं सभी बस्तियों/गांवों में और आवश्यकताओं/भौगोलिक क्षेत्र/जनसंख्या के अनुसार सभी समूहों के लिए शुरू की गई हैं।

15) क्या सामग्रियों/सेवाओं की खरीद निर्धारित मानदण्डों/प्रापण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की गई है?

16) क्या कार्यों/सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता अनुमोदित वित्तीय और तकनीकी अनुमानों से मेल खाती है और लाभाथयों द्वारा उपयोगी पाई जाती है?

17) क्या कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुसार है?

18) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी ने 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके सृजित परिसंपत्तियों और प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) योजना तैयार की है और वे इसके लिए पर्याप्त प्रयोक्ता प्रभार एकत्र कर रहे हैं?

19) क्या 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की प्रगति की सूचना संबंधित ग्राम सभा और ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को दी जाती है?

20) क्या 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग और पंजीकृत शिकायतों की प्रगति के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तर पर कोई शिकायत निवारण तंत्र है?

21) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग में प्रक्रियात्मक उल्लंघनों/भ्रष्ट प्रथाओं के संभावित मामलों को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं?

22) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी को (पदाधिकारियों, प्रशासनिक अनुमोदन शक्तियों और कार्यालय सुविधाओं के संदर्भ में) 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके किए गए कार्यों और सेवाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने में सक्षम होने का अधिकार दिया गया है?

23) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के प्रभावी उपयोग में ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है?

24) क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी को प्रशासन से अपेक्षित सहायता प्राप्त हुई है? क्या उनके प्रश्नों का उत्तर समय पर और सही तरीके से दिया गया था? क्या वे पर्याप्त क्षमता निर्माण प्रदान कर रहे हैं? क्या निधियों की प्राप्ति में कोई विलंब हुआ था? क्या उन्हें दिशानिर्देशों के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता थी? क्या उन पर कुछ मदों पर खर्च करने के लिए दबाव डाला गया था?

25) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी में ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है? यदि हां, तो क्या वे अपनी निर्धारित भूमिका निभा रहे हैं?

26) अच्छी प्रथाएं, जिन चीजों की सराहना की जानी चाहिए, जिन्हें अन्य जीपी/एलपी/डीपी या टीएलबी द्वारा अनुकरण किया जा सकता है।

27) राज्य नोडल विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों का सत्यापन।

28) कार्यस्थल पर प्रदर्शित जानकारी, सेवा उपकरण, कार्यालयों की दीवारों, जमीनी वास्तविकताओं के साथ सार्वजनिक स्थानों का सत्यापन।

29) प्रक्रियात्मक विचलनों, वित्तीय अनियमितताओं, यदि कोई हों, का पता लगाना।

30) शिकायतों, शिकायतों के पंजीकरण, यदि कोई हो, सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा टीम को सूचित किया जाता है।

2.5 अवधि

15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा कुल सभी ग्राम पंचायतों/आईपी/डीपी और पारंपरिक स्थानीय निकायों में तीन वर्षों में कम से कम एक बार की जाएगी। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष कुल ग्राम पंचायतों/आईपी/डीपी और परम्परागत स्थानीय निकायों में से एक तिहाई की सामाजिक लेखापरीक्षा की जाए ताकि तीन वर्षों में बहिष्कृत क्षेत्रों के सभी पंचायती राज संस्थानों/परम्परागत स्थानीय निकायों को इसमें शामिल किया जा सके। कैलेंडर ऐसा होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों में उसी समय मनरेगा की सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाए।

2.6 कवरेज

2.6.1 कार्यों और सेवाओं का पूर्ण कवरेज

सामाजिक लेखापरीक्षा के माह से तीन वर्ष पूर्व 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए पीआरएल (जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत) और पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए गए सभी कार्यों (पूर्ण और चालू) और प्रदान की गई सभी सेवाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि दिसंबर 2021 के माह में सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही है, तो 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक किए गए सभी कार्यों और सेवाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन किया जाएगा। यदि दिसंबर 2023 के माह में सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही है, तो 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2023 तक किए गए सभी कार्यों और सेवाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन किया जाएगा।

2.6.2 सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए एक इकाई के रूप में मध्यवर्ती पंचायत/ब्लॉक

सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा और संचालन के लिए एक आईपी/ब्लॉक/मंडल को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। तथापि, जहां तक संभव हो, जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करते हुए शुरू किए गए सभी कार्यों और प्रदान की गई सेवाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा साथ-साथ की जाएगी ताकि एक ग्राम सभा अपने ग्राम सभा क्षेत्र में सभी कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी, चाहे पंचायत का कोई भी स्तर उस कार्य को कार्यान्वित/निष्पादित कर रहा हो या वह सेवा प्रदान कर रहा हो। सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को दर्ज किया जाएगा और पंचायतों के विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले कार्यों/सेवाओं के मामले में, सभी ग्राम सभाएं अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित निष्कर्षों पर अलग से चर्चा करेंगी और सामाजिक लेखापरीक्षा करेंगी।

2.6.3 नमूना आधार पर लाभार्थी का कवरेज

15वें वित्त आयोग के कार्यों और सेवाओं के व्यक्तिगत और घरेलू लाभार्थियों को यादृच्छिक नमूना आधार पर कवर किया जाएगा ताकि प्रत्येक बस्ती, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप

से विकलांग, बुजुर्गों, एकल महिलाओं और अन्य कमजोर व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

3 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया

3.1 परिचयात्मक बैठक/प्रवेश सम्मेलन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा दल को जिला पंचायत (डीपी), मध्यवर्ती पंचायत (आईपी), ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर; पारंपरिक स्थानीय निकाय स्तर; जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत/या ग्राम परिषदों (वीसी) के निर्वाचित प्रतिनिधि, एसएचजी महासंघों/ग्राम संगठनों (वीओ)/समुदाय आधारित संगठनों (सीबी) के प्रतिनिधि, उस क्षेत्र में सक्रिय किसी अन्य सामुदायिक सेवा/गैर-सरकारी संगठन 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी नोडल विभागों के अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक/प्रवेश बैठक करनी चाहिए। ऐसी बैठकें जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत/टीएलबी स्तर पर अलग से आयोजित की जाएंगी। इस बैठक के दौरान, सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और प्रक्रिया के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में एक आम समझ बनाई जाएगी। इस बैठक के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के साथ हितधारकों का सहयोग मांगा जाएगा।

3.2 फील्ड कार्य

संबंधित राज्य की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा गठित जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी), ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) वाली सामाजिक लेखापरीक्षा टीम 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान फील्ड वर्क के भाग के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां शुरू करेगी। ऐसा करते समय सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को अनुबंध 3 में दर्शाए अनुसार संभावित विचलन और अनियमितताओं (अच्छी प्रथाओं के अलावा) की जांच करनी चाहिए।

3.2.1 जागरूकता पैदा करना

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम 15वें वित्त आयोग अनुदानों और परिचालन दिशानिर्देशों के प्रमुख प्रावधानों और इन अनुदानों के उपयोग पर विभिन्न केंद्रीय/राज्य सलाहों के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करेगी।

3.2.2 सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम सक्रिय रूप से 15वें वित्त आयोग अनुदानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेगी जो उसे ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों/ग्राम परिषदों के निवासियों को उपलब्ध कराई जाती है, जहां कार्य शुरू किए गए हैं और 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके प्रदान की गई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यह कार्यस्थलों के दौरे, घरों के दौरे, केंद्रित समूह चर्चा, ग्राम सभा में और आईपी/डीपी या टीएलबी स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किया जा सकता है।

3.2.3 दस्तावेज़/अभिलेख सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा दल उन्हें प्रदान किए गए सभी रिकॉर्ड/दस्तावेजों/जानकारी की जांच करेगा और इन दस्तावेजों के बीच असंगति/विसंगतियों की पहचान करेगा। टीम यह भी जांच करेगी कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके शुरू किए गए सभी कार्यों/सेवाओं को संबंधित ग्राम सभाओं, ग्राम सभाओं/ ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा कार्य/सेवाएं प्रारंभ करने से पूर्व प्राप्त तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां अनुमोदित की गई हैं या नहीं। सामाजिक लेखापरीक्षा दल यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या सभी बिल/वाउचर, रसीदें, रोकड़ बही, लेखे ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा ठीक से रखे जाते हैं जहां सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही है।

3.2.4 दीवार लेखन का सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा दल ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत अथवा टीएलबी कार्यालयों में तथा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यस्थलों पर दीवार लेखन, सूचना प्रदर्शन बोर्डों की उपलब्धता एवं सत्यता की जांच करेगा।

3.2.5 कार्यों/सेवाओं का भौतिक सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा दल उन कार्यस्थलों और स्थानों का दौरा करेगा जहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को प्रदान किए गए रिकॉर्ड/दस्तावेजों में प्रदान की गई जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए कार्यों और सेवाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को सत्यापित करेंगे।

3.2.6 कार्यों/सेवाओं के मौजूदा और पूर्व लाभार्थियों के साथ सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा दल लाभार्थी परिवारों का दौरा करेगा और उनके साथ आधिकारिक रिकॉर्ड में दी गई जानकारी की सत्यता का सत्यापन करेगा और एमआईएस/ वे 15वें वित्त आयोग का उपयोग करके किए गए कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता और प्रदान की गई सेवाओं के साथ लाभार्थी की संतुष्टि के स्तर का भी पता लगाएंगे। यदि कोई शिकायत है तो उसे भी दर्ज किया जाएगा।

3.2.7 केंद्रित समूह चर्चा

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम समुदाय के साथ केंद्रित समूह चर्चा आयोजित करेगी, जहां प्रतिभागी गैर-लाभार्थी के साथ-साथ लाभार्थी भी हो सकते हैं, यह समझने के लिए कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग कैसे किया जा रहा है अर्थात जीपीडीपी की तैयारी की प्रक्रिया और उसमें सामुदायिक भागीदारी, पेयजल और स्वच्छता के लिए वार्षिक कार्य स्कीम, ग्राम सभा की नियमितता और प्रभावकारिता, अनुमोदित और स्वीकृत कार्यों/सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में सामुदायिक भागीदारी, शिकायत निवारण प्रणाली, सामान्य समस्याओं और अच्छी प्रथाओं आदि की उपस्थिति और प्रभावकारिता।

3.2.8 निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन

सामाजिक लेखापरीक्षा दल पिछली सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान लिए गए निष्कर्षों और निर्णयों पर ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तर पर नोडल विभाग/प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत/प्रदान की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की प्रामाणिकता की भी जांच करेगा।

3.3 मसौदा रिपोर्ट तैयार करना

फील्ड वर्क के निष्कर्षों/टिप्पणियों के आधार पर, सामाजिक लेखापरीक्षा निर्धारित प्रारूप में एक मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी। ऐसी रिपोर्ट समझने में आसान, अस्पष्टता या अस्पष्टता से मुक्त और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मसौदा रिपोर्ट के निष्कर्षों को क्षेत्र सत्यापन, आधिकारिक दस्तावेजों, गवाहियों, तस्वीरों, वीडियो आदि से साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

3.4 सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई

3.4.1 ग्राम सभा के अध्यक्ष

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा बुलाई जाएगी (पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा आयोजित की जानी चाहिए और उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए) ताकि मसौदा रिपोर्ट में निहित क्षेत्र सत्यापन के निष्कर्षों पर चर्चा की जा सके और अनुपालन की समीक्षा की जा सके अर्थात ग्राम सभा के सदस्यों और कार्यों/सेवाओं के लाभार्थियों के अधिकारों और लाभार्थियों की पारदर्शिता और जवाबदेही और पूर्ति। चूंकि ग्राम पंचायत या वीसी एक कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए सामाजिक लेखापरीक्षा 2016 के लिए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष/अध्यक्ष (प्रधान, सरपंच, मुखिया) द्वारा नहीं की जाएगी। सामाजिक लेखापरीक्षा, ग्राम सभा के अध्यक्ष का निर्णय ग्राम सभा की बैठक शुरू होने से पहले एकत्रित लोगों द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित क्षेत्रों में, पारंपरिक ग्राम प्रधान/ग्राम प्रधान अध्यक्ष हो सकते हैं।

3.4.2 स्थान, समय और प्रचार

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा स्कूल परिसर, खुले मैदान आदि जैसे तटस्थ सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक हॉल के मामले में यह ग्राम सभा के अधिकांश सदस्यों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए और बैठक के दौरान सभी दरवाजे खुले रहने चाहिए। ग्राम सभा ऐसे स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए जहां यह पारंपरिक रूप से आयोजित की जाती रही है और किसी भी परिवर्तन स्थल के लिए प्रवेश सम्मेलन में लोगों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ग्राम सभा का समय महिला सदस्यों सहित सभी के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची राज्य पंचायती राज अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को पहले से या बैठक के दिन से कम से कम तीन दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।

3.4.3. कार्यकर्ताओं की उपस्थिति

15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी/शामिल ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि बैठक शुरू होने से लेकर बैठक के समापन तक उपस्थित रहेंगे। ये पदाधिकारी ग्राम सभा के सदस्यों के प्रश्नों, शिकायतों और ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्यास के निष्कर्षों

का उत्तर देंगे। मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) के अध्यक्ष/अध्यक्ष या सीईओ भी अपने क्षेत्रों में आयोजित सभी सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में भाग लेने के लिए अपने उम्मीदवारों को भेजेंगे। जिला प्रशासन को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भी नियुक्त करना चाहिए।

3.4.4 कृत कार्रवाई की समीक्षा

ग्राम सभा का पहला एजेंडा पिछली सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा में रिपोर्ट किए गए पिछले सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना होगा। सामाजिक लेखापरीक्षा टीम कार्रवाई रिपोर्ट के सत्यापन के अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

3.4.5. मसौदा सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति

सामाजिक लेखापरीक्षा दल ग्राम/आईपी/डीपी या टीएलबी के लिए अलग से सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में निहित सामाजिक लेखापरीक्षा क्षेत्र सत्यापन कार्य/सेवावार निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कार्यकर्ता, लाभार्थी, सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के सदस्य अपने विचार/मामले प्रस्तुत करेंगे ताकि ग्राम सभा के सदस्य निष्कर्षों पर निर्णय ले सकें।

3.4.6 कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग और लिए गए निर्णय

बैठक के कार्यवृत्त ग्राम सभा रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे, जिस पर ग्राम सभा अध्यक्ष, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव, आईपी और डीपी नामित, सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के प्रतिनिधि और बैठक के प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, ग्राम सभा के निर्णयों को निर्णय लिए गए प्रारूप (डीटीएफ) में दर्ज किया जाएगा, जहां निर्णय, उत्तरदायी व्यक्ति और समयरेखा दर्ज की जाएगी और ग्राम सभा अध्यक्ष, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव, आईपी और डीपी नामितियों और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

3.4.7 अधिकारहीन और कमजोर लोगों की भागीदारी

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन द्वारा व्यापक स्थानीय प्रचार (पोस्टर, रैली, यात्रा आदि) और सामाजिक लामबंदी के माध्यम से सबसे अधिकारहीन और कमजोर लोगों (एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, एकल महिला, शारीरिक रूप से विकलांग आदि) की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.4.8 सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा का प्रलेखन

सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की बैठक का पर्याप्त फोटो और वीडियो प्रलेखन किया जाएगा और फोटोग्राफ को अंतिम सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा।

3.5 जन सुनवाई

3.5.1 सार्वजनिक सुनवाई के लिए समर्थन

ब्लॉक, जिला और राज्य में सार्वजनिक सुनवाई आम जनता के लिए खुली होगी और प्रशासन को सुनवाई के लिए तारीख और स्थान का व्यापक प्रचार करना चाहिए और लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जन सुनवाई के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन माइक्रोफोन, शामियाना, पेयजल और वीडियो-रिकॉर्डिंग सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे। उस स्तर पर पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को जन सुनवाई में भाग लेना चाहिए; जिलाधिकारी को जन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपस्थित होना चाहिए या प्रतिनियुक्त करना चाहिए।

3.5.2 सार्वजनिक सुनवाई के लिए निर्णायक सदस्यों का स्वतंत्र पैनल

ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तर पर जन सुनवाई की अध्यक्षता निर्णायक सदस्यों के एक पैनल द्वारा की जाएगी, जिसमें एसएचजी/सीबीओ के महासंघ, स्थानीय नागरिक समाज संगठनों, स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय मीडिया, उच्च स्तर से सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के प्रतिनिधियों, उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत/या टीएलबी और राज्य स्तरीय जन सुनवाई के लिए निर्णायक सदस्यों को अधिसूचित करेगी। कोई व्यक्ति जो 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग में शामिल है किसी भी स्तर पर निर्णायक का सदस्य नहीं होगा। निर्णायक सदस्यों का पैनल प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा मुद्दे की समीक्षा करेगा और विभिन्न अनियमितताओं/शिकायतों के लिए की जाने वाली उचित कार्रवाई पर राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

3.5.3 ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई

पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा का आयोजन ग्राम स्तर पर किया जाता है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओं के समापन के बाद तीन दिनों में ग्राम पंचायत स्तर की जन सुनवाई आयोजित की जाएगी ताकि सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की जा सके और कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके। गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में, ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

3.5.4 ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई

किसी ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद 15 दिनों में मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक पंचायत/मंडल पंचायत/पंचायत समिति) स्तर की जन सुनवाई आयोजित की जाए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई पैनल में उपायुक्त प्रतिनिधि, एसएयू प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि, एसएचजी महासंघ प्रतिनिधि, सीएसओ प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और अकादमिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ब्लॉक स्तर की जन सुनवाई में:

क) मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग व्यय की सामाजिक लेखापरीक्षा करें।

ख) ग्राम पंचायत स्तर पर लिए गए निर्णयों पर अपीलों की सुनवाई करें और आदेश पारित करें।

ग) उन मुद्दों पर आदेश पारित करें जो उसे ग्राम पंचायत से भेजे गए थे।

घ) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ङ) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

च) विचार-विमर्श और निर्णय के लिए कुछ मुद्दों को जिला स्तर पर भेजें।

छ) कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव दें।

3.5.5 जिला स्तर पर जन सुनवाई

छह माह में एक बार जिला पंचायत (जिला परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत) या एडीसी स्तर पर जनसुनवाई होनी चाहिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई पैनल में उपायुक्त, राज्य प्रतिनिधि, दूसरे जिले से एसएयू प्रतिनिधि, एसएचजी फेडरेशन प्रतिनिधि, सीएसओ प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और अकादमिक प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई में:

क) जिला पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग व्यय की सामाजिक लेखापरीक्षा करें।

ख) ब्लॉक स्तर पर लिए गए निर्णयों पर अपीलों की सुनवाई करें और आदेश पारित करें।

ग) ब्लॉक स्तर की सुनवाई से भेजे गए मुद्दों पर आदेश पारित करें।

घ) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ङ) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

च) विचार-विमर्श और निर्णय के लिए कुछ मुद्दों को राज्य स्तर पर भेजें।

छ) कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव दें।

3.5.6 राज्य स्तर पर जन सुनवाई

राज्य स्तरीय जन सुनवाई वर्ष में एक बार की जाएगी। राज्य स्तरीय जन सुनवाई पैनल में प्रधान महालेखाकार, आरडी एवं पीआर विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक, सीएसओ प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि, अकादमिक प्रतिनिधि और एसएयू निदेशक शामिल हो सकते हैं। राज्य स्तरीय जन सुनवाई में:

क) जिला स्तर पर लिए गए निर्णयों पर अपीलों की सुनवाई करें और आदेश पारित करें।

ख) जिला स्तरीय सुनवाई से भेजे गए मुद्दों पर आदेश पारित करें।

ग) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

घ) उन मुद्दों की समीक्षा करें जिन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है

ङ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग में देखी जाने वाली बाधाओं और सामान्य अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रचालनात्मक और नीतिगत उपायों की अनुशंसा करना।

3.6 रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना

ग्राम सभा/जन सुनवाई पूरी होने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और उस पर सामाजिक लेखापरीक्षा दल के सदस्यों, निर्णायक सदस्यों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक के कार्यवृत्त सहित अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी, जिला मजिस्ट्रेट या एडीसी और पंचायती राज विभाग के निदेशक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। रिपोर्ट और बैठक के कार्यवृत्त को ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए रखा जाना चाहिए। प्रसार के लिए एक प्रति स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वयं सहायता समूहों के स्वैच्छिक संगठनों को भी दी जा सकती है। रिपोर्ट ग्राम सभा/जन सुनवाई की समाप्ति के 03 दिनों में सार्वजनिक डोमेन में की जानी चाहिए। निष्कर्षों को 03 दिनों में पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में भी दर्ज किया जाएगा।

3.7 कार्रवाई रिपोर्ट समीक्षा समिति

15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी नोडल अधिकारी ग्राम सभा/जन सुनवाई के 15 दिनों में टीएलबी/ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत/राज्य नोडल विभाग द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अधिकारी को कार्रवाई रिपोर्ट को 'एटीआर' को अग्रेषित करना चाहिए। एटीआर समीक्षा समिति का गठन राज्य और जिला स्तर पर किया जाना चाहिए और इसमें पंचायती राज विभाग का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या अधिकारी शामिल नहीं होना चाहिए। एटीआर समीक्षा समिति में एसएयू प्रतिनिधि, सीएसओ प्रतिनिधि, एसएचजी/सीबीओ महासंघों के सदस्य, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या एटीआर समिति कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है, तो उच्च स्तर (ब्लॉक/जिला/राज्य) सार्वजनिक सुनवाई में इस मुद्दे की पुन: जांच की जाएगी।

निम्न चित्र दर्शाता है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के मुद्दों को कैसे संसाधित किया जाता है।

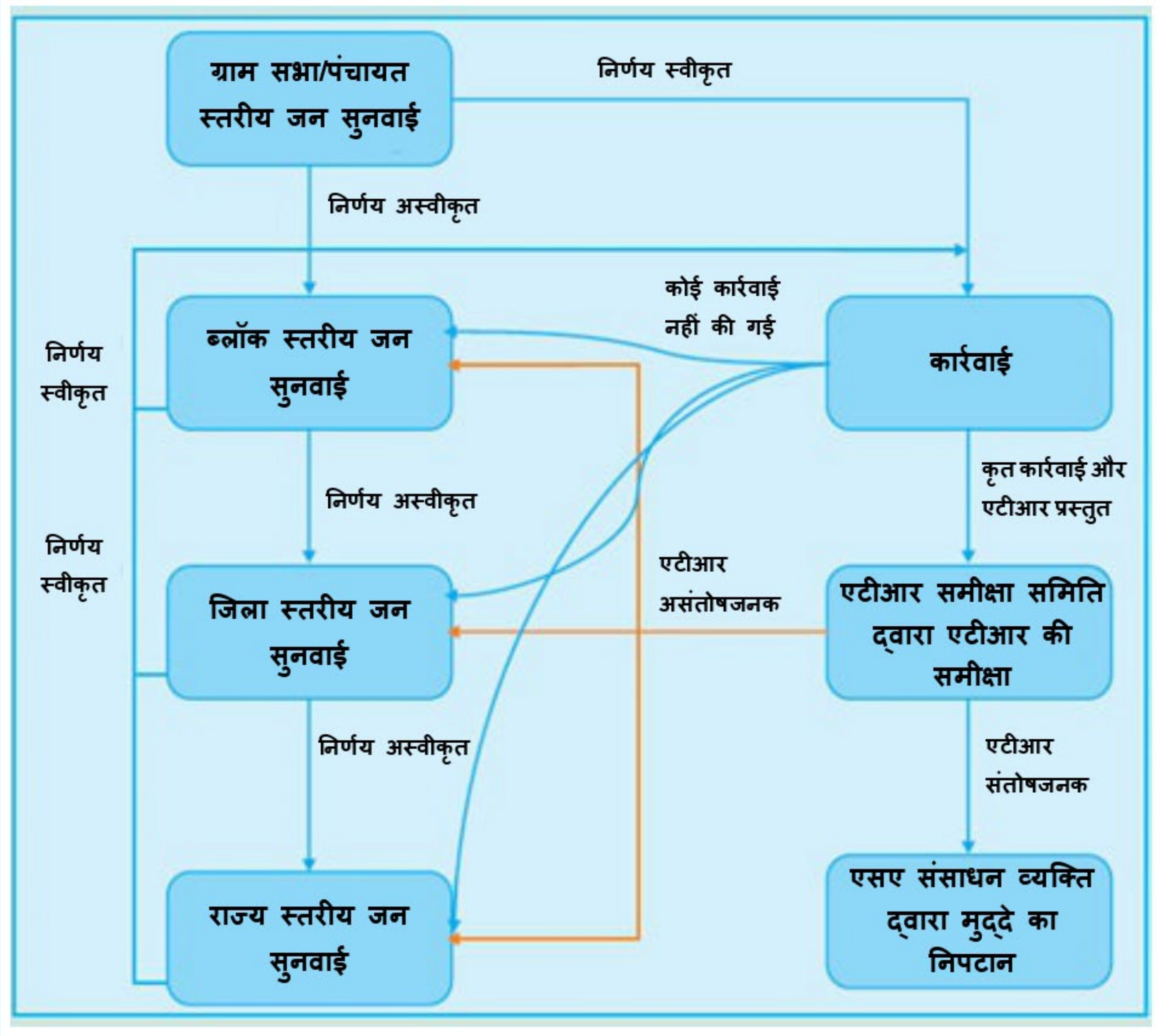

4 सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा इकाई की संरचना और कार्य

4.1 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई

ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद स्तर पर, ऐसी ग्राम सभा है जो 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी। तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों के एक समूह की आवश्यकता है। मनरेगा योजना की लेखापरीक्षा नियमावली 2011 के अंतर्गत स्थापित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा भी प्रदान करेगी।

4.2 एसएयू के शासी बोर्ड

जब भी 15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक की कार्यसूची का हिस्सा होगी, मौजूदा शासी बोर्ड पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार के वित्त विभाग के सचिव को एसएयू के शासी बोर्ड की बैठकों में शामिल करेगा/आमंत्रित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में 15वें वित्त आयोग के प्रभारी संयुक्त सचिव को भी शासी बोर्ड की वार्षिक बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है, जिसमें निष्कर्षों की सामाजिक

लेखापरीक्षा की प्रगति और 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

4.3 एसएयू के कार्मिक

15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व एक ब्लॉक/जिला/राज्य संसाधन व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक लेखापरीक्षा पर 30 दिवसीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम पूरा कर लिया है। उसे अन्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने सामाजिक लेखापरीक्षा पर कम से कम 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो। एमजीएनआरईजीएस की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले मौजूदा संसाधन व्यक्तियों के अलावा, एसएयू 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए एक वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल के साथ अतिरिक्त कार्मिक/संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

एसएयू अपने कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों को सीधे वेतन/मानदेय का भुगतान करेगा, यदि उन्हें 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है और लेखापरीक्षा की जा रही संस्थाओं के पंचायती राज विभाग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कुछ के लिए व्यय को पूरा करेगा। 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए रखे गए कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों का मानदेय एमजीएनआरईजीए सामाजिक लेखापरीक्षा मानदंडों के समान होगा।

4.4 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के उत्तरदायित्व

क) एसएयू को सामाजिक लेखापरीक्षा 2016 के लिए एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप होना चाहिए जैसा कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग पर लागू होता है।

ख) एसएयू यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत (और उन क्षेत्रों में पारंपरिक स्थानीय निकाय जहां भारतीय संविधान का भाग IX लागू नहीं है) द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के साथ किए गए कार्यों/सेवाओं के 100% कवरेज के साथ की जाए। इस उद्देश्य के लिए, एसएयू अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा और हर वर्ष 15 मार्च से पहले शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस वार्षिक कैलेंडर को सभी ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के साथ अग्रिम रूप से साझा किया जाना चाहिए। इस कैलेंडर को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस पर भी अपलोड किया जाएगा।

ग) एसएयू यह सुनिश्चित करेगा कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए पर्याप्त कर्मियों को लगाया और प्रशिक्षित किया जाए। किसी विशेष स्थान पर लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले संसाधन व्यक्तियों की संख्या का निर्णय कार्यों की संख्या,

भौगोलिक कवरेज और टीएलबी/ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत में व्यय की राशि के आधार पर लिया जा सकता है।

घ) एसएयू 15वें वित्त आयोग के सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के उद्देश्य से स्थानीय भाषा में क्षेत्र सत्यापन, रिपोर्टिंग प्रारूप, प्रशिक्षण मैनुअल, आईईसी सामग्री के लिए प्रारूप विकसित करेगा। सांकेतिक प्रारूप अनुबंध 2 में दिए गए हैं। ऐसे प्रारूपों में न्यूनतम सामान्य सूचना बनाए रखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में भरी जाने वाली सभी मदों/सूचनाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ताकि पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक लेखापरीक्षा के सुविधाजनक संचालन, निष्कर्षों और सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई में राज्यों की प्रगति की तुलना कर सके।

ङ) एसएयू यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। इसे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एमआईएस में निष्कर्षों को दर्ज करना चाहिए।

च) एसएयू सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश, नोडल विभाग से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के सारांश, प्रमुख अनुशंसाओं और वित्तीय विवरणों के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और सी एंड एजी को प्रस्तुत करेगा (अनुबंध 6)।

छ) एसएयू राज्य नोडल विभाग, डीपी, आईपी और ग्राम पंचायत में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा ताकि निष्कर्षों पर चर्चा की जा सके और विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई में निष्कर्षों पर लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की जा सके। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है या उचित नहीं है, तो एसएयू को इन मुद्दों को उच्च स्तर के अधिकारियों/अधिकारियों को बताना चाहिए।

ज) एसएयू सामाजिक लेखापरीक्षा की आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा जिसमें परीक्षण लेखापरीक्षा का संचालन शामिल है; यह टीएलबी/ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के सदस्यों या आम जनता के लिए एक शिकायत पंजीकरण तंत्र भी स्थापित करेगा, जिनके पास सामाजिक लेखापरीक्षा टीम या व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायतें/शिकायतें हैं।

4.5 सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

4.5.1 राज्य संसाधन व्यक्तियों (एसआरपी) के उत्तरदायित्व

क) एसएयू के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में निदेशक को सलाह और सहायता देना।

ख) वार्षिक कैलेंडर, क्षेत्र सत्यापन डेटा संग्रह प्रारूप, सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप, सार्वजनिक सुनवाई में उपयोग के लिए लिए गए निर्णय प्रारूप और निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई को ट्रैक करने के लिए कार्रवाई प्रारूप तैयार करने में निदेशक की सहायता करना।

ग) अधिगम सामग्री, प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना और डीआरपी/वीआरपी का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शुरू करना।

घ) जागरूकता सृजन के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान और गीत, नाटक आदि जुटाने पर आईईसी सामग्री तैयार करना।

ङ) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करना और सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।

च) सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विश्लेषण करना और राज्य में विभिन्न हितधारकों के बीच परिचालित करने के लिए आवधिक रिपोर्ट तैयार करना।

छ) विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई के संचालन में सहायता करना।

ज) विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेना।

4.5.2 जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) के उत्तरदायित्व

क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए 15वें वित्त आयोग सिफारिशों, परिचालन दिशानिर्देशों और केंद्रीय और राज्य सलाहों के बारे में जानना।

ख) ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पहचान करना और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ग) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों और ग्राम संसाधन व्यक्तियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना।

घ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, रिकॉर्ड प्राप्त करना और उनकी जांच करना।

ङ) सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, निर्णायक सदस्यों और राज्य स्तरीय एसएयू कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों के साथ समन्वय करना।

च) यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक लेखापरीक्षा 2016 के लिए लेखापरीक्षा मानकों, जैसा कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों के मामले में लागू है, का पूर्णत: अनुपालन करना।

छ) ग्राम सभाओं और जन सुनवाई में भाग लेना।

4.5.3 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) के उत्तरदायित्व

क) इस दिशा-निर्देशों की धारा 3 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली टीम का नेतृत्व करना।

ख) ग्राम संसाधन व्यक्तियों को कार्य आवंटित करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

ग) दस्तावेजों और रजिस्टरों की जांच करना, कार्यस्थलों पर जाना, ग्रामीणों के साथ व्यक्तिगत रूप से और छोटे समूहों में मिलना,

घ) विभिन्न स्तरों पर ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई में निष्कर्षों को प्रस्तुत करना।

ङ) सुनिश्चित करना कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सार्वजनिक सुनवाई में लिए गए निष्कर्षों और निर्णयों सहित) निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों और एसएयू को सूचित किया जाता है।

च) सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी में सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस उद्देश्य के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए गए सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में दर्ज किए गए हैं।

छ) ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की निगरानी करना और एसएयू के राज्य स्तरीय कर्मचारियों/संसाधन व्यक्तियों के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को रिपोर्ट करना।

4.5.4 ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी)

क) ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के मार्गदर्शन और निर्देशों के आधार पर इस दिशा-निर्देशों की धारा 3 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करना।

4.6 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई में पारदर्शिता और जवाबदेही

क) **आरटीआई अधिनियम का अनुपालन:** एसएयू को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन और इसके बाद के संशोधनों का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से, इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) का पालन करना चाहिए जो एसएयू के कामकाज से संबंधित प्रमुख जानकारी के सक्रिय प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है। शासी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त, कार्यकारी निकाय की बैठक के कार्यवृत्त, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निविदा दस्तावेज, भर्ती/भर्ती प्रक्रिया, खरीद प्रक्रिया आदि जैसे प्रमुख दस्तावेजों को एसएयू की वेबसाइट पर होस्ट किया जाना चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा को सभी लेखापरीक्षाओं में सबसे अधिक सार्वजनिक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, तंत्र को परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा एसएयू की सभी प्रक्रियाओं और जमीन पर आयोजित की जा रही सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है, पोषित और बनाए रखा जाता है।

ख) **सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखना:** एसएयू को प्रत्येक ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत की सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (तस्वीरों/वीडियो रिकॉर्डिंग सहित), ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तरों पर जन सुनवाई में लिए गए निर्णय और अपनी वेबसाइट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की मेजबानी करनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए गए एमआईएस पर निष्कर्षों को अपलोड करना सुनिश्चित करना चाहिए। संपूर्ण सामाजिक लेखापरीक्षा डेटा की सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धता से अनुवर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

ग) एसएयू को सामाजिक लेखापरीक्षा के कर्मचारियों और प्रथाओं के बारे में नागरिकों और पीआरआई से शिकायतों को स्वीकार करने के लिए एक **शिकायत निवारण अधिकारी** नामित करना चाहिए और आचार संहिता के उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण इरादे से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में संसाधन व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

5 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व

5.1 ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सचिव/आईपी के अध्यक्ष और बीडीओ/डीपी के अध्यक्ष और सीईओ के उत्तरदायित्व

क) यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा आवश्यक सभी डेटा, जानकारी, रिकॉर्ड/दस्तावेज सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले प्रदान किए गए हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा दल को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों/अभिलेखों की एक सांकेतिक सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

ख) सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप किए बिना कार्यों/सेवाओं और लाभार्थियों/लाभार्थी परिवारों का पता लगाने में सामाजिक लेखापरीक्षा टीमों के साथ पूर्णत: सहयोग करें।

ग) वॉल पेंटिंग, सूचना प्रदर्शन बोर्ड, नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शन आदि के माध्यम से 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के संबंध में सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी में 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के संबंध में सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप अनुपत्र 5 में दिए गए हैं। यदि पहले नहीं किया जाता है, तो यह सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए।

घ) सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा और जन सुनवाई के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उपस्थित करें और प्रतिनियुक्त करें।

ङ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी की सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में निहित सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर सार्वजनिक सुनवाई में लिए गए निष्कर्षों और लिए गए निर्णयों पर पंचायती राज मंत्रालय के सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस पर प्राप्त हो/अपलोड किए जाने की तारीख से 15 दिनों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

च) कार्रवाई रिपोर्ट राज्य नोडल विभाग को प्रति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तुत करें और इसे पंचायती राज मंत्रालय के सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस पर सामाजिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा अपलोड की जा रही सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों में पंचायती राज मंत्रालय के सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में अपलोड करें।

5.2 ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के उत्तरदायित्व

क) 15वें वित्त आयोग अनुदान और परिचालन दिशानिर्देशों के बारे में स्वयं को जानें और शिक्षित करें।

ख) अपने वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी स्तरों पर पेयजल और स्वच्छता के लिए जीपीडीपी/आईपी प्लान/डीपी प्लान और क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी में भाग लें और उनका पर्यवेक्षण करें।

ग) ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी बैठकों में 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग पर चर्चा और समीक्षा करें और अपने वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में समुदाय के सामने आ रहे मुद्दों/शिकायतों को उठाएं।

घ) 15वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करके अपने वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदान किए जा रहे कार्यों/सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करें।

ङ) अपने वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण समुदाय को 15वें वित्त आयोग के कार्यों/सेवाओं की आयोजना (जीपीडीपी और क्षेत्रीय स्कीम), निगरानी, समवर्ती लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित और संगठित करना। सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा और जन सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ग्रामीण समुदाय को भी संगठित करें।

च) सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को आवश्यक दस्तावेज/रजिस्टर प्रस्तुत करें, ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई में भाग लें, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित कार्रवाई करें।

5.3 राज्य सरकार के उत्तरदायित्व

पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग:

क) 3 वर्षों में कम से कम एक बार सभी स्थानीय निकायों में विशेष लेखापरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना।

ख) निर्धारित समय सीमा में सामाजिक लेखापरीक्षा टीमों को रिकॉर्ड के प्रावधान के लिए जवाबदेही तय करने के लिए उपयुक्त नियम तैयार करना।

ग) 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान रिपोर्ट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रियात्मक उल्लंघनों/अनियमितताओं/शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाइयों (कार्रवाई प्रोटोकॉल) के संबंध में नियम तैयार करना। साथ ही, लगाए जाने वाले दंड का निर्णय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। निर्णय लेते समय इन नियमों को सार्वजनिक सुनवाई के निर्णायक सदस्यों द्वारा संदर्भित किया जाएगा। राज्य सरकार एक स्वतंत्र कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समीक्षा समिति का भी गठन करेगी।

घ) सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और जन सुनवाई में लिए गए निर्णयों की जांच और कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना करना।

ङ) सुनिश्चित करें कि कार्रवाई रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस में अपलोड की गई हैं।

च) उस लेखे को अधिसूचित करें जहां सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य के दौरान ईआर/अधिकारियों/ठेकेदारों आदि से वसूली गई राशि जमा की जा सकती है और उस राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा।

छ) राज्य में 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग के सचिव सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत के अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की मासिक समीक्षा करेंगे।

ज) सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और की गई कार्रवाई रिपोर्टों के सारांश को शामिल करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सीएजी को प्रस्तुत करें और इसे राज्य विधानमंडल में रखें। कृत लेखा-परीक्षा की संख्या, सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई रिपोर्टों का सारांश प्रारूप अनुपत्र 6 में दिया गया है।

झ) राज्य नोडल विभाग सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नोडल अधिकारी के रूप में एक राज्य स्तर के अधिकारी को नामित करेगा, जिसके साथ एसएयू समन्वय करेगा।

ञ) वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग अंतरिम रिपोर्ट के पैरा 5.3 (xxiii) के अनुसार, ऑनलाइन लेखे बनाने के लिए पीआरआई की लेखा प्रणाली को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखापरीक्षा टीमों को लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए 15वें वित्त आयोग निधियों की रोकड़ बही और अन्य सहायक रजिस्टरों/रिपोर्टों की सॉफ्ट कॉपी और कार्यों की जियो-टैग की गई तस्वीरें आदि डाउनलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाए।

ट) पंचायती राज मंत्रालय ने सलाह जारी की है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से "ऑडिटऑनलाइन" सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा पीआरआई की वार्षिक वैधानिक ऑडिटऑनलाइन आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखापरीक्षा टीमों को लेखापरीक्षित लेखों की सॉफ्ट कॉपी और 15वें वित्त आयोग निधियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ऑडिटऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाए।

5.4 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तरदायित्व

क) 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के नोडल विभाग को सलाह जारी करना। राज्यों को स्थानीय निकायों के सहयोग को अनिवार्य करने वाले नियम जारी करने चाहिए (शुल्क का भुगतान करें, आवश्यक दस्तावेज दें, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लें और सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समय पर और उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें)। इस प्रकार के परामर्श में विभिन्न अनियमितताओं के लिए विस्तृत कार्रवाई प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

ख) सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस बनाएं जो एसएयू को निष्कर्षों को अपलोड करने में सक्षम बनाता है और ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी और राज्य नोडल विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय डैशबोर्ड बनाएं।

ग) सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा करें और 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को अनुशंसा करने से पहले एक मापदंड के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को शामिल करें।

घ) संसद के समक्ष रखी जाने वाली मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों और कृत कार्रवाई का सारांश शामिल करें।

ङ) सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और नोडल विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी और पीआर और एसएयू को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

च) पंचायती राज मंत्रालय को सामाजिक लेखापरीक्षा पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के अभिमुखीकरण, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में एक विशेष कार्य-स्थल बनाना चाहिए।

6 सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए निधियां

6.1 सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा और संचालन की लागत

सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा और संचालन के लिए व्यय को संबंधित पीआरआई द्वारा 15वें वित्त आयोग असहबद्ध अनुदानों सहित इसके स्रोतों में से सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसमें 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है (2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट के अध्याय 7 का पैरा 7.84)।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई 15वें वित्त आयोग अनुदानों के सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए आवश्यक लागत का अनुमान लगाएगी और इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। अनुमान के आधार पर, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा अग्रिम रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधा शुल्क के भुगतान के लिए एक पद्धति तैयार करेंगे और इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के एक माह में इस संबंध में जीओ जारी करेंगे। प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान किया जाने वाला सामाजिक लेखापरीक्षा शुल्क समान नहीं होगा, बल्कि 15वें वित्त आयोग अनुदानों से प्राप्त राशि के समानुपाती होगा।

6.2 निधियों को जारी करने की विधियां

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एसएयू को 15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन और सुविधा की लागत के अग्रिम भुगतान या प्रतिपूर्ति के तौर-तरीकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा काम किया जाएगा और पैरा 6.1 में ऊपर उल्लिखित जीओ के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

6.3 लेखों की लेखापरीक्षा

एसएयू को एसएयू के शासी बोर्ड के अनुमोदन के बाद सीएजी द्वारा बनाए गए पैनल से चुने गए सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित लेखों के वार्षिक विवरण की प्रति पंचायती राज मंत्रालय को 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

6.4 व्यय के लिए अनुमेय मदें/कार्यकलाप

एसएयू 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित निम्नलिखित मदों पर व्यय कर सकता है:

क) एसएयू के लिए अनुबंध पर कर्मियों को काम पर रखने की लागत।

ख) 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण।

ग) निर्णायक सदस्यों और कार्रवाई रिपोर्ट समिति के सदस्यों को भुगतान (उन लोगों के लिए जो राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं)

घ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा और संचालन पर खर्च।

ङ) आईईसी सामग्री और आईईसी गतिविधियाँ।

च) सामाजिक लेखापरीक्षा की निगरानी।

छ) 15वें वित्त आयोग के सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग।

ज) कृत कार्रवाई की समीक्षा और निगरानी।

झ) मूल्यांकन और मूल्यांकन अध्ययन का संचालन।

ञ) संगोष्ठि, सम्मेलनों, बैठकों की लागत।

6.5 अन्य योजनाओं के साथ 15वें वित्त आयोग की सामाजिक लेखापरीक्षा:

जहां तक संभव हो, मनरेगा और अन्य योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग निधि की सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी ताकि लागत, प्रयासों के दोहराव को कम किया जा सके और लोगों की बड़ी भागीदारी को सक्षम किया जा सके।

7 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

7.1 गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप है और निरंतर उच्च गुणवत्ता की है, एसएयू द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को तैयार किया जाना चाहिए ताकि रिपोर्टों की दिशा, पर्यवेक्षण, मिलान और समेकन और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा को कवर किया जा

सके। एसएयू निदेशक को सामाजिक लेखापरीक्षा गतिविधियों के सभी पहलुओं को कवर करते हुए गुणवत्ता आश्वासन और सुधार पहलों को विकसित और बनाए रखना चाहिए।

7.2 निगरानी

एसएयू सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपना आंतरिक निगरानी तंत्र विकसित करेंगे। सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन और निष्कर्षों को नियमित रूप से एमआईएस में दर्ज किया जाना चाहिए और निरंतर निगरानी की जानी चाहिए।

7.3 आकलन

15वें वित्त आयोग अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा का आवधिक आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए। बाहरी मूल्यांकन एसएयू के शासी निकाय द्वारा पहचान की गई एक एजेंसी/संस्थान द्वारा किया जा सकता है। एसएयू निदेशक को शासी निकाय के समक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट रखनी चाहिए और बाद में अंतिम रिपोर्ट को राज्य नोडल विभाग और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझा करना चाहिए।

7.4 परीक्षण लेखापरीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है, यह जांचें कि क्या सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वास्तविक क्षेत्र इनपुट को दर्शाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के लिए आचार संहिता का पालन किया जाता है और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के गैर-परक्राम्य हैं, एसएयू को स्थानीय निकायों के नमूने का परीक्षण लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

8 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीटी):

8.1 प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) और एसएयू के साथ 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले संसाधन व्यक्तियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण भागीदार होंगे।

8.2 संवेदीकरण

एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी और एसएयू सभी तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रमुख पदाधिकारियों, 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग (पंचायती राज विभाग) के जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा पर अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।

9 सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के लिए आचार संहिता

9.1 नीति

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सभी सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों के दौरान नैतिक आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए और काम में व्यवहार, अखंडता और निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से आचरण करना चाहिए जो सहयोग और अच्छे संबंध को बढ़ावा दे।

9.2 स्वाधीनता

सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपनी सभी गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदर्शित करनी चाहिए और उनके निष्कर्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। रिपोर्ट में निष्कर्ष सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सटीक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।

9.3 व्यावसायिकता

सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों को ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी के पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों, 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके किए गए कार्यों के लाभार्थियों/प्रदान की गई सेवाओं के साथ कार्य करते समय अत्यंत व्यावसायिकता का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हें खुले दिमाग वाले, गंभीर और सभी विचारों के प्रति ग्रहणशील बने रहना चाहिए। व्यावसायिकता में ज्ञान, योग्यता, अखंडता और स्थिरता शामिल है। किसी भी बिंदु पर, सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्ति को सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से आतिथ्य की आशा नहीं करनी चाहिए।

10 विशेष लेखापरीक्षा

10.1 विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां

एसएयू के वरिष्ठ और अनुभवी टीम के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोजित की जाने वाली विशेष लेखापरीक्षा हैं:

क) जब किसी ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया बाधित हो जाती हो या उसे होने से रोका जाता हो ।

ख) जब किसी भी स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा या जन सुनवाई बाधित हो या होने से रोकी जाती हो ।

ग) जब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें आती हों।

घ) जब शिकायतकर्ताओं/सूचना प्रदाताओं के विरुद्ध बल प्रयोग, धमकी और इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई सामने आती हो ।

ङ) जब सामाजिक लेखापरीक्षा संसाधन व्यक्तियों के विरूद्ध शारीरिक बल, धमकी की सूचना दी जाती है।

च) जब सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए आवश्यक जानकारी, अभिलेख/दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं जिससे सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाना असंभव हो जाता है।

10.2 विशेष लेखापरीक्षा के लिए समर्थन

यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंसा, धमकी और दंडात्मक कार्रवाई के कृत्यों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एक विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जाए। जिला प्रशासन को विशेष लेखापरीक्षा टीम के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशेष लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकार को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वित्तीय वसूली और/अथवा प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्यवाही सहित तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

11 समवर्ती निगरानी

तीन वर्षों में एक बार नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा के अलावा, प्रदान किए जा रहे चल रहे कार्यों/सेवाओं की समवर्ती निगरानी भी की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ, मनरेगा या अन्य स्कीमों के अंतर्गत प्रावस्थित/गठित ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति (वीएमसी) का उपयोग किया जा सकता है। एसएयू/एसआईआरडी/एनआईआरडीपीआर और राज्य सरकार वीएमसी सदस्यों के अभिविन्यास और क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर सकती है। समवर्ती निगरानी के निष्कर्ष नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा में फीड होंगे और नोडल विभाग को सुधारात्मक उपाय करने का अवसर भी प्रदान करेंगे।

अनुबंध

अनुबंध 1: सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं की सूची

राज्य स्तर

केन्द्र से 15वें वित्त आयोग अनुदानों की प्राप्ति और ग्राम पंचायतों/आईपी/डीपी (और बहिष्कृत क्षेत्रों में स्थानीय निकायों), सरकारी आदेशों, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों (जीपीडीपी, पेयजल और स्वच्छता स्कीम), वार्षिक रिपोर्टों, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए वार्षिक पेयजल और स्वच्छता योजनाओं, राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का विवरण, सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण रिपोर्ट आदि।

जिला पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर

क) वार्षिक विकास स्कीम (जिला स्कीम, आईपी स्कीम, जीपीडीपी)

ख) पेयजल और स्वच्छता के लिए वार्षिक क्षेत्रीय स्कीम (जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए वार्षिक कार्य स्कीम)

ग) 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी द्वारा प्रदान किए गए कार्यों/सेवाओं की सूची और प्रत्येक कार्य/सेवाओं का विवरण (जीएस संकल्प, ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत संकल्प, एएस, टीएस, निविदा, अनुबंध प्रति, फोटो, एमबी, पूर्णता प्रमाणपत्र, उपयोग प्रमाणपत्र, गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट)

घ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत या टीएलबी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लाभार्थियों/परिवारों/व्यक्तियों की कार्य/सेवा-वार सूची

ङ) ग्राम सभा के कार्यवृत्त, ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठकों, आईपी आम सभा बैठक, डीपी आम सभा बैठक जिसमें 15वें वित्त आयोग अनुदानों द्वारा वित्त पोषित कार्यों/सेवाओं को मंजूरी दी गई।

च) 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए सामग्री और सेवाओं की खरीद का विवरण

छ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों से किए गए सभी भुगतानों के बिल/वाउचर

ज) 15वें वित्त आयोग अनुदानों के लेखा विवरण

झ) 15वें वित्त आयोग अनुदानों की सीएजी/सीए/स्थानीय निधि लेखापरीक्षा रिपोर्टें

ञ) ब्लॉक, जिला, राज्य, केंद्रीय अधिकारियों की निगरानी/पर्यवेक्षण दौरों के अवलोकन

ट) मस्टर रोल/भुगतान की गई मजदूरी का विवरण

ठ) विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं, खरीदी गई सामग्रियों और सेवाओं तथा किए गए भुगतानों की सूची।

ड) प्रदान की गई सेवाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क का विवरण

ढ) शिकायत/शिकायत रजिस्टर की प्रति और की गई कार्रवाई

ण) 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके प्रदान किए गए कार्यों/सेवाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी कार्यकर्ताओं की सूची

त) 15वें वित्त आयोग अनुदानों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण

थ) शुरू की गई आईईसी गतिविधियों का विवरण

द) पारदर्शिता उपायों का विवरण

ध) जवाबदेही उपायों का विवरण

न) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और निगरानी के लिए समिति (या किसी अन्य निकाय) में शामिल पीआरआई के ईआर की सूची

अनुबंध 2: सामाजिक लेखापरीक्षा सत्यापन प्रारूप

क. रिकॉर्ड सत्यापन प्रारूप

क्र. सं.	नाम पंजीकृत करें	स्थिति (उपलब्ध या नहीं)	अद्यतन (हाँ/नहीं)	टिप्पणियाँ/समस्याएँ (हस्ताक्षर अनुपलब्ध, हस्ताक्षर नकली, डेटा सत्य नहीं, असंगत फ़ोटो, अपूर्ण कारण)
1.	जीपीडीपी/आईपी योजना/डीपी योजना			
2.	जेजेएम और एसबीएम-जी की वार्षिक कार्य योजना			
3.	ग्राम सभा रजिस्टर			
4.	ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत बैठक रजिस्टर			
5.	रोकड़ बही			
6.	परिसंपत्ति रजिस्टर			
7.	चैक जारी करने वाले रजिस्टर/एफटीओ			
8.	बिल/वाउचर रजिस्टर			
9.	स्टॉक बुक			
10.	भुगतान रजिस्टर			
11.	15वां वित्त आयोग अनुदान रजिस्टर			
12.	सेवाओं के अनुसार फाइल (जीएस संकल्प, एएस, टीएस, निविदा, समझौते की प्रति, डब्ल्यूओ, 3 फोटो, माप पुस्तिका, सीसी, यूसी, पीओ, क्यूसी, रिपोर्ट)			
13.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट			
14.	शिकायत रजिस्टर			

ख. निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड सत्यापन

	रिकॉर्ड के अनुसार	वास्तविकता के अनुसार
काम का नाम		
स्थान		
कार्यकर्ता		
काम कब शुरू किया गया था?		
यदि पूरा हो गया है, तो यह कब पूरा हुआ था?		
स्वीकृत राशि		
व्यय राशि		
काम की स्थिति	शुरू/चालू/पूर्ण	शुरू/चालू/पूर्ण
माप (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई)		
खरीदी गई सामग्री की मात्रा		
उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा		
क्या कार्यस्थल पर कोई सूचना बोर्ड है?		
यदि पूरा हो गया है, तो क्या काम का उपयोग किया जा रहा है?		
क्या कार्य अच्छी प्रकार से किया गया था?		
इससे बेहतर क्या किया जा सकता था?		
काम की गुणवत्ता		
कोई शिकायत/शिकायत		

ग. ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ फोकस समूह चर्चा के लिए प्रश्न

- जेजेएम और एसबीएम-जी और जीएस के लिए डीपीडीपी /वार्षिक कार्य योजनाओं के बारे में जागरूकता और भागीदारी?
- जीपीडीपी/आईपी योजनाएं/डीपी योजनाएं/डीपी योजनाएं के माध्यम से कौन-कौन से कार्य/सेवाएं चुनी जाती हैं?
- क्या कार्य कार्यान्वित कर रहे हैं?
- क्या आप वीएलसी/ठेकेदार को जानते हैं?

- क्या आप 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान (बेसिक, सहबद्ध) की श्रेणियों से अवगत हैं?
- क्या आप जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सहबद्ध अनुदान को किन मदों पर खर्च किया जा सकता है?
- पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई?
- क्या एक विशेष वीएलसी/ठेकेदार को अधिक पसंद किया गया था?
- क्या लोगों की एक विशेष बस्ती/उप-गांव/समुदाय को अधिक लाभ हो रहा था?
- क्या कोई समुदाय या लोगों का एक वर्ग कार्यों/सेवाओं का लाभ पाने से चूक गया था?
- क्या ऐसे अन्य कार्य हैं जो अधिक उपयोगी होते?
- काम के निष्पादन में कोई समस्या?
- काम के निष्पादन में कोई समस्या?
- क्या आप जानते हैं कि क्या किसी इंजीनियर द्वारा कार्य/सेवा का दौरा/पर्यवेक्षण किया गया था, क्या यह सत्यापित किया गया था?
- क्या ग्राम सभा में कार्य/सेवाओं के बारे में जानकारी पढ़ी गई थी?

घ. सूची की जाँच करें

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणियाँ
बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और क्षमता निर्माण		
क्या पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को 15वें वित्त आयोग के अनुदान पर प्रशिक्षण/अभिविन्यास प्रदान किया गया था?	हाँ/नहीं	
क्या आरआरआई के पास पर्याप्त स्टाफ है?	हाँ/नहीं	
क्या आरआरआई के पास पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण और इंटरनेट संयोजकता है?	हाँ/नहीं	
नियोजन		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत पेयजल (जेजेएम) और स्वच्छता (एसबीएम-जी) के लिए वार्षिक कार्य स्कीम तैयार करता है?	हाँ/नहीं	
क्या जीपी ने डीपीडीपी/आईपी तैयार आईपी प्लान/डीपी प्लान तैयार किया था?	हाँ/नहीं	
क्या मिशन अंत्योदय डेटा का उपयोग विकास अंतराल और ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत की महसूस की गई आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए किया	हाँ/नहीं	

जाता है?		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ने ग्राम सभा के अनुमोदन से कार्यस्थल का चयन किया था?	हाँ/नहीं	
जब ग्राम सभा द्वारा जीपीडीपी को अनुमोदित किया गया था तो क्या कोरम की आवश्यकता पूरी की गई थी?	हाँ/नहीं	
प्रशासनिक सहायता		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत को समय पर प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी मंज़ूरी मिल गई थी?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत को समय पर अनुदान मिला (राज्य नोडल विभाग द्वारा प्राप्त होने से 10 कार्य दिनों में)	हाँ/नहीं	
प्रक्रियाएं		
क्या ग्रामीण समुदाय के बीच 15वें वित्त आयोग अनुदानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ने पर्याप्त उपाय किए हैं?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत सभी भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों, विशेष रूप से अविकसित और कमजोर लोगों को शामिल करना सुनिश्चित करता है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के पास कोई प्रापण समिति है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ने राज्य सरकार के खरीद नियमों/मानदंडों के अनुसार सामग्रियों और सेवाओं की खरीद की थी?	हाँ/नहीं	
क्या रिकॉर्ड ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा ठीक से बनाए	हाँ/नहीं	

रखा जाता है?		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के ईआर और पदाधिकारी नियमित रूप से कार्यों/सेवाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं?	हाँ/नहीं	
क्या कार्यों/सेवाओं की सामुदायिक निगरानी के लिए ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत में कोई सतर्कता और निगरानी समिति (वीएमसी) या उपयोगकर्ता संघ है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत के ईआर 15वें वित्त आयोग अनुदानों की उपयोगिता की प्रगति की समीक्षा करते हैं?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत दोनों श्रेणियों (क) पेयजल (ख) स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सहबद्ध अनुदान संवितरित करता है, यदि एक श्रेणी पहले से ही संतृप्त नहीं है?	हाँ/नहीं	
पारदर्शिता और जवाबदेही		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुपालन में 15वें वित्त आयोग अनुदानों से संबंधित जानकारी का सक्रिय रूप से प्रकटन किया है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ग्राम सभा में 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की प्रगति की रिपोर्ट करता है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत की आम सभा की बैठकों में 15वें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की प्रगति की रिपोर्ट करता है?	हाँ/नहीं	
क्या पिछले वर्ष के लेखे ऑनलाइन सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं?	हाँ/नहीं	

क्या पिछले वर्ष से पहले की अवधि के लेखापरीक्षित लेखे सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्ध हैं?	हाँ/नहीं	
क्या 15वें वित्त आयोग के उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा तैयार की जाती है?	हाँ/नहीं	
एमआईएस का उपयोग		
क्या पंचायत आरआरआईए सॉफ्ट में अपने लेखों का रखरखाव कर रही है?	हाँ/नहीं	
क्या प्लान प्लस का उपयोग ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किया जाता है?	हाँ/नहीं	
क्या एक्शन सॉफ्ट का उपयोग ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किया जाता है?	हाँ/नहीं	
अनुरक्षण		
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत ने नई पेयजल योजना की पूंजीगत लागत को पूरा करने के लिए अनिवार्य सामुदायिक योगदान सुनिश्चित किया है?	हाँ/नहीं	
क्या ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत परिसंपत्तियों और सेवाओं के संचालन और रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करता है?	हाँ/नहीं	

अनुबंध 3: संभावित उल्लंघन जिनकी एसए सुविधाप्रदाताओं द्वारा जांचा की जानी चाहिए

क. प्रक्रियात्मक उल्लंघन

- वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की गई
- बिल/वाउचर के बिना व्यय
- बिलों में टिन नंबर नहीं है
- इंजीनियर ने साइट का दौरा नहीं किया
- गलत अनुमान
- बढ़े हुए अनुमान
- काम की आवश्यकता नहीं थी
- तकनीकी अनुमोदन के बिना किया गया कार्य/सेवाएं प्रदान की गई
- काम किया गया लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा
- ग्राम सभा की मंजूरी के बिना किया गया काम
- ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत सामान्य निकाय के अनुमोदन के बिना किया गया कार्य
- प्रशासनिक स्वीकृति के बिना किया गया कार्य
- वीएलसी/अनुबंध/प्रापण समिति का गठन मानदंडों का पालन किए बिना किया गया
- एक वीएलसी/ठेकेदार/सेवा प्रदाता दूसरे पर तरजीह देता है।
- वीएलसी सदस्यों/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं को गलत तरीके से चुना गया
- जीपीडीपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया
- प्लान प्लस का उपयोग नहीं किया गया
- जीपीडीपी एमआईएस में प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं / गलत तरीके से की गई हैं
- किया गया कार्य जीपीडीपी का हिस्सा नहीं है
- जीपीडीपी प्रक्रिया के साथ समस्या
- पेयजल (जेजेएम) और स्वच्छता (एसबीएम-जी) के लिए वार्षिक कार्य योजना अच्छी प्रकार से नहीं की गई
- किया गया कार्य जेजेए और एसबीएम-जे के लिए वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा नहीं है
- जेजेएम और एसबीएम-जी के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया के साथ मुद्दे
- सहबद्ध हुए अनुदान का उपयोग कार्यों की एक श्रेणी (उदाहरण के लिए पेयजल सेवाओं) के लिए केवल तभी किया जाता है जब अन्य श्रेणी (उदाहरण के लिए स्वच्छता सेवाएं) संतृप्त न हों।
- पंचायती राज संस्थाओं के पास 15वें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करके किए जाने वाले कार्यों/सेवाओं की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।
- सामग्रियों/सेवाओं की खरीद के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- दीवारों पर लेखन

- कार्यस्थल पर सूचना पटल की कमी
- व्यय स्वीकृत राशि से अधिक है
- सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए दस्तावेजों/रजिस्टरों की अनुपलब्धता

ख. अभिलेखों का उल्लंघन

- परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं रखा जाता है
- अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जाता
- रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किए गए
- रिकॉर्ड में किए गए कई सुधार
- रिकॉर्ड पर उचित हस्ताक्षर नहीं हैं
- बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं हैं
- विभिन्न चरणों में कार्यों की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं।
- मापन पुस्तिका की अनुपलब्धता

ग. वित्तीय दुरुपयोग/दुरुपयोग

- सेवाएं
- अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दो बार काम बुक किया जा चुका है।
- काम को चिह्नित किया गया है क्योंकि खरीद अधूरी है
- खरीदी नहीं गई सामग्री/सेवा प्राप्त न होने के फर्जी बिल
- किए गए कार्य/प्राप्त सेवा के एवज में अतिरिक्त भुगतान
- राशि का वास्तव में भुगतान नहीं किया गया लेकिन भुगतान दिखाया गया है
- बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदी गई सामग्री/सेवाएं
- खरीदी गई सामग्री/प्राप्त सेवाओं का उपयोग निजी उपयोग के लिए किया जाता है।
- मजदूरों को कम मजदूरी का भुगतान
- खराब गुणवत्ता वाले कार्य/सेवाएं
- अपात्र/निषिद्ध कार्य किया गया/सेवाएं प्रदान की गईं।
- मूल अनुदानों का उपयोग निषिद्ध कार्यों/मदों जैसे सम्मान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए किया जाता है।
- किए गए कार्य की मात्रा मापन पुस्तिका में दी गई जानकारी से कम है
- गलत स्थान पर या किसी निजी व्यक्ति के स्थान पर किया गया कार्य/सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- अनुबंध/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए रिश्वत का भुगतान
- किसी व्यक्ति के लेखे में बिना किसी आधार के निधियों की अधिक निकासी/अंतरण

अनुबंध 4: सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए लिया गया निर्णय प्रारूप और प्रारूप

क. जन सुनवाई में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप

ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत का नाम:

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत और समाप्ति की तारीख:

सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन कार्यों/सेवाओं की अवधि:

सामाजिक लेखापरीक्षा टीम:

ग्राम सभा की तिथि:

जन सुनवाई की तिथि:

निर्णायक के सदस्य:

ईआर और अधिकारियों के नाम और पदनाम:

क्र.सं.	श्रेणी और उप-श्रेणी	समस्या का विवरण	उत्तरदायी व्यक्ति	लिया गया निर्णय	समयरेखा

ख. सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप

ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत का नाम: सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत और समाप्ति की तारीख: सामाजिक लेखापरीक्षा के अधीन कार्यों/सेवाओं की अवधि: सामाजिक लेखापरीक्षा टीम: ग्राम सभा की तिथि:
ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा किए गए कार्य/गतिविधियां जिनकी सराहना की जानी चाहिए
जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है
ऐसे क्षेत्र/गतिविधियाँ जिनसे भविष्य में बचना चाहिए
कम लागत/बिना लागत क्षेत्रों में निष्पादन
ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत द्वारा आवश्यक समर्थन/शिकायतें
जनता से शिकायतें/आवश्यकताएं
खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) ग्राम पंचायत/मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत की स्थिति
पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की स्थिति
गंभीर उल्लंघन (वित्तीय दुरुपयोग/ अनुचित सहित)
प्रक्रिया का उल्लंघन

अनुबंध 5: सक्रिय प्रकटीकरण- दीवार पेंटिंग

क. जीपीडीपी प्लान (____________________पर अपडेट किया गया):

ग्राम पंचायत का नाम:			
जीपीडीपी/आईपी/डीपी/योजना वर्ष:			
ग्राम सभा/अनुमोदन तिथि:			
डीपी आम सभा अनुमोदन तिथि:			
कार्यों की इच्छित/प्राथमिकता सूची			
काम का नाम	स्थान	अनुमानित लागत	स्थिति (शुरू/चालू/पूर्ण नहीं)

ख. कार्य विवरण (______________पर अपडेट किया गया):

ग्राम पंचायत/आईपी/डीपी नाम:

वर्ष	कार्य का नाम	स्थान	निष्पादन एजेंसी/ वीएलसी	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	काम की स्थिति	कार्य पूरा होने की तिथि	टिप्पणियां

ग. 15वें वित्त आयोग से प्राप्ति और व्यय (____________________पर अपडेट किया गया):

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त मूल अनुदान राशि	मूल अनुदान राशि खर्च की गई	प्राप्त सहबद्ध अनुदान राशि	सहबद्ध हुए अनुदान राशि खर्च की गई	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2020-21						
2.	2021-22						
3.	2022-23						
4.	2023-24						
5.	2024-25						
6.	2025-26						

घ. **गांव/गांव/जीपी/ग्राम पंचायतों का भौतिक मानचित्र, नियोजित और पूर्ण किए गए कार्यों के स्थान को दर्शाता है।**

ङ. **सेवा साइट बोर्ड (____________________________पर अपडेट किया गया):**

ग्राम पंचायत/आईपी/डीपी का नाम			वार्ड/गांव का नाम:		
कार्य/सेवाओं का नाम			कार्य आईडी		
परियोजना/योजना/अनुदान का नाम			वर्ष		
कार्यकारी एजेंसी/वीएलसी सदस्य के नाम			स्वीकृत दिनांक		
स्वीकृत राशि:			कार्य प्रारंभ दिनांक:		
काम की स्थिति:		चल रहा/पूरा हो गया	कार्य पूरा होने की तारीख:		
खर्च की गई कुल राशि:			लाभार्थी (स्थान का नाम या लाभार्थियों की सूची निर्दिष्ट करें):		
सामग्री उपयोग का विवरण			श्रम उपयोग किए गए विवरण		
सामग्री माने	स्थानीय इकाई के साथ मात्रा	प्रति यूनिट दर	प्रकार	व्यक्ति दिवस की संख्या	दर/व्यक्ति दिवस
			कुशल		
			अर्धकुशल		
			अकुशल		

इस परियोजना के लिए दस्तावेज उपलब्ध हैं:____________________________________

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क____

अनुबंध 6: 15वें वित्त आयोग अनुदान का एसए-सारांश प्रारूप

क. की गई लेखापरीक्षा की संख्या

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जीपी की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए ग्राम पंचायतों की संख्या	जीपी का % लेखापरीक्षा की गई	बीपी की संख्या	लेखापरीक्षा की गई बीपी की संख्या	बीपी के प्रतिशत की लेखापरीक्षा की गई	डीपी की संख्या	लेखापरीक्षा की गई डीपी की संख्या	लेखापरीक्षा की गई डीपी का %
1.	2021-22									
2.	2022-23									
3.	2023-24									
4.	2024-25									
5.	2025-26									
6.	2026-27									

ख. रिपोर्ट किए गए मुद्दों और दायर किए गए एटीआर का सारांश

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रिपोर्ट की गई समस्याओं की कुल संख्या	उन मुद्दों की कुल संख्या जिन पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की गई है	संतोषजनक ढंग से बंद किए गए मुद्दों की कुल संख्या	एमआईएस में दर्ज किए गए मुद्दों की कुल संख्या	एमआईएस में अपलोड की गई कार्रवाई रिपोर्टों की कुल संख्या
1.	2021-22					
2.	2022-23					
3.	2023-24					
4.	2024-25					
5.	2025-26					
6.	2026-27					
	योग					

ग. वित्तीय दुरुपयोग/अनुचित मुद्दे

वित्तीय वर्ष	वित्तीय अनुचित के मुद्दे			वित्तीय अनुचित राशि			
	रिपोर्ट किए गए एफएम मुद्दों की संख्या	उन मुद्दों की संख्या जिन पर एटीआर प्रस्तुत किया गया है	संतोषजनक ढंग से बंद किए गए मुद्दों की संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा में दी गई सूचना के अनुसार एफएम राशि	स्वीकार की गई राशि	अस्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
2021-22							
2022-23							
2023-24							
2024-25							
2025-26							
2026-27							
योग							

घ. प्रक्रिया उल्लंघन और शिकायत

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रिपोर्ट की गई प्रक्रिया उल्लंघन समस्याओं की संख्या	उन मुद्दों की संख्या जिन पर एटीआर प्रस्तुत किया गया है	संतोषजनक ढंग से बंद किए गए मुद्दों की संख्या	रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जिन पर एटीआर प्रस्तुत किया गया है	संतोषजनक ढंग से बंद हुई शिकायतों की संख्या
1.	2021-22						
2.	2022-23						
3.	2023-24						
4.	2024-25						
5.	2025-26						
6.	2026-27						
	योग						

ङ. अनुशासनात्मक कार्रवाई

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निंदा/चेतावनी दिए गए कर्मचारियों की संख्या	निलंबित कर्मचारियों की संख्या	बर्खास्त कर्मचारियों की संख्या	पीआरआई प्रतिनिधियों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई है	दायर एफआईआर की संख्या
1.	2021-22					
2.	2022-23					
3.	2023-24					
4.	2024-25					
5.	2025-26					
6.	2026-27					
	योग					

च. सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का गुणात्मक सारांश, की गई कार्रवाई रिपोर्ट और भावी योजना

पिछले वित्तीय वर्ष में सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश
पिछले वित्तीय वर्ष में की गई कार्रवाई रिपोर्टों का सारांश
संचयी सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों और संचयी कार्रवाई रिपोर्टों के बीच अंतर को संबोधित करने के लिए कार्य योजना
सबसे निरंतर सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सामने आए मुद्दों को हल करने के लिए नीति/दिशानिर्देशों में परिवर्तन

पंचायती राज